



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 2009/आश्विन 4, 1931

No. 186]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2009/ASVINA 4, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2009

सं. एल-7/145(160)/2008-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सार्वजनिक सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 है ।
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- विस्तार तथा लागू होना : ये विनियम प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के फीस तथा प्रभारों का अवधारण करने के लिए लागू होंगे ।
- परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - “अतिरिक्त पूंजीकरण” से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है ;

(3) "संपरीक्षक" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 या धारा 233ख या धारा 219 के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अर्हित ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(4) "क्रेता" से मध्यकालिक या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा क्रय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(5) "पूंजी लागत" से इन विनयनों के विनियम 6 में यथा परिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है;

(6) "पूंजी व्यय (केपेक्स) योजना" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के सृजन के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत कए जाने वाली योजनाबद्ध पूंजी प्रकृति का व्यय अभिप्रेत है

(7) "प्रभार" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा या ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दी गई संवाओं के लिए इस निमित्त संगृहीत किए जाने वाले आवर्ती और मासिक संदाय अभिप्रेत है;

(8) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(9) "संविदागत क्षमता" से दीर्घकालिक या मध्यकालिक पहुंच के माध्यम से व्यवस्थित क्षमता अभिप्रेत है;

(10) "नियंत्रण अवधि" से 1.4.2009 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(11) "दिन" से 00 घंटे से आरंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(12) "उपगत व्यय" से उपयोगी आस्ति के सृजन या अद्यपेक्षा के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ऐसी निधि चाहे ईक्विटी या दोनों हो, तथा नकद में संदत्त या नकद के समतुल्य निधि

अभिप्रेत है तथा जिसमें ऐसी प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है;

(13) "फीस" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या इस निमित्त दी गई सेवाओं के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता या कोई अन्य मद्दे जो, आयोग द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट की जाएं, के मद्दे संगृहीत एक बार या वार्षिक नियत संदाय अभिप्रेत है;

(14) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(15) "बाजार प्रचालन कृत्य" में अनुसूचीकरण, प्रेषण, मीटरिंग, डाटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापक, पारेषण हानि संगणना के कृत्य तथा प्रभाजन, पूल लेखा का प्रचालन तथा संकुचन प्रभार लेखा के कृत्य प्रशासनिक सहायक सेवाएं, जानकारी प्रसार तथा कोई अन्य कृत्य सम्मिलित हैं जो विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विविआ द्वारा बनाए गए विनियमों तथा आदेशों द्वारा आर एडडीसी/एनएलडी सी द्वारा समनुदेशित किए जाएं;

(16) "राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र" या "एनएलडीसी" से अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(17) "पूल लेखा" से अनुसूचित विनियम (यूआई लेखा) या रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंज (रिएक्टिव ऊर्जा लेखा) या अन्य लेखाओं के बारे में संदाय के लिए प्रादेशिक लेखा अभिप्रेत है जिसे समय-समय पर आरएलडीसी/एनएलडीसी द्वारा के वि.वि.आ. के विनियमों या निदेशों के अनुसार प्रचालित किए जाएं;

(18) "प्रदेश" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक प्रलेखित प्रदेश अभिप्रेत है;

(19) "प्रादेशिक ईकाई" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;

(20) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' या आएलडीसी से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(21) 'स्कीम' से यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय प्रेषण केन्द्र तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के निगमित कार्यालय से सहबद्ध और उसपर संस्थापित सुविधाएं तथा उपकरण अभिप्रेत हैं और सम्मिलित है किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, अर्थात:-

(i) कंप्यूटर प्रणाली, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर,

(ii) गौण ऊर्जा प्रदाय प्रणाली जिसमें अबाधित ऊर्जा प्रदाय डीजल जेनेरेटिंग सेट तथा डीसी ऊर्जा प्रणाली भी सम्मिलित है,

(iii) साधारण टेलीफोन, फैक्स तथा अन्य आफ लाइन संचार प्रणाली,

(iv) अन्य अवसंरचना प्रसुविधाएं जैसे वातानुकूलित, अग्निशामक तथा भवन का संनिर्माण तथा नवीकरण,

(v) बेहतर प्रणाली प्रचालन जैसे साइक्रोफेजर्स, प्रणाली संरक्षण स्कीम के लिए आर एंड डी परियोजनाओं तथा पाइरट परियोजनाओं के लिए कोई इनोवेटिव स्कीमें,

(vi) आर एल डी सी के लिए बैक-अप नियंत्रण केन्द्र,

(vii) निगरानी कैमरा प्रणाली, तथा

(viii) साइबर सुरक्षा प्रणाली ।

(22) 'विक्रेता' से मध्यकालिक या दीर्घकालिक माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(23) "ऊर्जा प्रचालन प्रणाली" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन में लगी हुई है;

(24) "प्रणाली प्रचालन कृत्य" में ग्रिड प्रचालन की मानीटरिंग, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा उसपर नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण तथा प्रेषण के लिए रियल-टाइम प्रचालन, ग्रिड बाधाओं का अनुसरण करने के लिए प्रणाली प्रतिस्थापन, प्रणाली प्रचालन, संकुचन प्रबंधन, ब्लैक आरंभ समन्वयन से संबंधित आंकड़े का संकलन तथा उन्हें प्रस्तुत करना तथा कोई अन्य कृत्य जो विद्युत अधिनियम द्वारा तथा के वि.वि.आ. के विनियमों तथा आदेशों द्वारा आरएलडीसी को सौंपे जाएं;

(25) "उपयोक्ता" से यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता, क्रेता तथा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के अंतर-राज्यिक पारेषण नेटवर्क या सहबद्ध प्रसुविधाओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है;

(26) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(27) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों को, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

अध्याय-2

फीस तथा प्रभासों के अवधारण के लिए आवेदन तथा प्रक्रिया तथा एलडीसी विकास निधि

4. फीस तथा प्रभासों के अवधारण के लिए आवेदन: (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी नियंत्रण अवधि के लिए फीस तथा प्रभासों के अवधारण के लिए उपगत पूंजी व्यय तथा संगरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तथा सेपेक्स योजना के आधार पर नियंत्रण अवधि के दौरा उपगत किए जाने के लिए प्रक्षोषित आधार पर इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्ररूपों में प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए पृथक् रूप से आवेदन करेगी ।
- (2) आवेदन के साथ, अन्य बातों के साथ, विनिधान के लिए निधियों के स्रोत, उपदर्शित की जाने वाली नियंत्रण अवधि के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र हेतु सेपेक्स योजना संलग्न होगी । आयोग सेपेक्स योजना की प्रज्ञावान जांच करेगा तथा फीस तथा प्रभासों के अवधारण के साथ उसका अनुमोदन करेगा ।
- (3) आवेदन करने से पूर्व, आवेदन प्रत्येक उपयोक्ता को आवेदन की प्रति की तामील करेगा ।
- (4) आवेदक आयोग को आवेदक करने से पूर्व, अपनी वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को पोस्ट करेगा तथा उसे आयोग द्वारा निपटान किए जाने तक वेबसाइट पर डालेगा ।
- (5) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक यह उपदर्शित करेगा कि प्रत्येक उपयोक्ता को पूर्ण आवेदन की प्रति की तामील कर दी है तथा आवेदन को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उस वेबसाइट का नाम बताएगा जिस पर आवेदन को डाला गया है ।
- (6) आवेदन, ऐसे व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा जो आवेदन में दिए गए तथ्यों से परिचित हो ।
- (7) आवेदक, आवेदन करने के पश्चात् सात दिन के भीतर, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में इन विनियमों के परिशिष्ट -2 में दिए गए प्ररूप में आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, जो एक अंग्रेजी भाषा में होगा तथा दूसरी हिन्दी भाषा में होगा तथा जिसका प्रचालन उस

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होगा, जहां उपयोक्ता अवस्थित हो, वह दैनिक समाचारपत्र के रूप में उसी भाषा में होगा जिसमें आवेदन की सूचना प्रकाशित की जाती है।

5. **वार्षिक फीस तथा प्रचालन प्रभारों का ट्रुइंग-अप:** (1) आयोग 31.3.2014 तक वसूली गई तथा ट्रुइंग-अप के समय प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार की गई फीस तथा प्रभारों के लिए नियंत्रण अवधि की समाप्ति के पश्चात् की अवधि के लिए फाइल की गई फीस प्रभारों का अवधारण करने के लिए आवेदन के साथ ट्रुइंग-अप अभ्यास करेगा।

(2) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी 31.10.2014 तक ट्रुइंगअप अभ्यास करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में संलग्न प्ररूपों में आवेदन करेगा।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उपगत पूंजी व्यय के ब्यौरे जिसमें अतिरिक्त पूंजी व्यय, वित्त निधियन का स्रोत, मानव संसाधन व्यय, प्रचालन तथा रखरखाव व्यय आदि सम्मिलित है, जो संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित तथा प्रमाणित होंगे, ट्रुइंगअप के आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।

(4) ट्रुइंगअप करने के पश्चात्, जहां इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से अधिक टैरिफ वसूला गया हो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार वसूली गई अधिक रकम को क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम उधार दर के समान दर पर साधारण ब्याज के साथ, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को वापस करेंगे।

(5) जहां ट्रुइंग-अप के पश्चात् इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ वसूला गया टैरिफ से कम है वहां, यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, कम वसूली गई रकम को क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम उधार दर के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ, यथास्थिति, फायदाग्राही या पारेषण ग्राहकों से वसूलेगा।

(6) क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम उधार दर के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूली गई या अधिक वसूली गई रकम को ट्रुइंग-

अप अभ्यास करने के पश्चात्, आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्रारंभ होने वाली छह बराबर मासिक किस्तों में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञापिधारी द्वारा वसूला या वापस किया जाएगा ।

6. पूंजी लागत: (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए पूंजी लागत में नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत व्यय या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित व्यय भी सम्मिलित होगा, जिसमें संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) तथा वित्तीय प्रभार, संनिर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा दर फेरफार (फेरा) के मद्दे कोई लाभ या हानि तथा सेपेक्स योजना की दृष्टि से संनिर्माण के दौरान अनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित है:

परन्तु यह कि उपयुक्त आस्तियों का मूल्य पूंजी लागत का भाग नहीं होगा ।

(2) प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगा:

परन्तु यह कि प्रज्ञावान जांच में पूंजी व्यय, वित्तीय योजना आईडीसी, आईडीसी की युक्तियुक्ता, दक्ष तकनीकी का उपयोग, लागत ओवर-रन तथा समय ओवर-रन तथा ऐसे अन्य मामले सम्मिलित होंगे, जो आयोग समुचित समझे:

परन्तु यह और नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित सेपेक्स योजना के साथ अंतरण की तारीख को क्रमिक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के लेखा बहियों में उपसंजात होने वाली पूंजी लागत प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगी ।

7. अतिरिक्त पूंजीकरण: (1) प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय को आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार स्वीकृत किया जा सकेल:

परन्तु यह कि औजार तथा रस्से, फर्नीचर, वातानुकूलकों, बोल्टेज स्टेबलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, फंखों, कपड़ा धोने की मशीनों, उष्मा परिवर्तकों, गद्दों, कालीन आदि जैसे छोटी मर्चा या आस्तियों को अर्जित करने पर हुए व्यय पर जो वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के

पश्चात् जानकारी में लाया गया हो, फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8. ऋण-ईक्विटी अनुपात: (1) अंतरण की तारीख को लेखा-बहियों में उपसंजात वास्तविक ऋण-ईक्विटी अनुपात पर राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आरंभिक पूंजी लागत के लिए विचार किया जाएगा।

(2) अंतरण की तारीख को या उसके पश्चात किए गए विनिधान के लिए यदि वास्तविक रूप से लगाई गई ईक्विटी पूंजी लागत के 30% की अधिक है तो 30% की अधिक ईक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा:

परन्तु यह कि जहां वास्तविक रूप से लगाई गई ईक्विटी पूंजी लागत के 30% से कम है, वहां वास्तविक ईक्विटी को प्रभारों के अवधारण के लिए समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि विदेशी मुद्रा में निवेशित ईक्विटी को प्रत्येक विनिवेश की तारीख को भारतीय रूपए में निर्दिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा अपनी खुली आरक्षिति से सृजित आंतरिक संसाधनों के शेयर पूंजी तथा विनिधान जारी करते समय कोई प्रीमियम, यदि कोई हो, प्रोदभूत किया जाता है तो पूंजी व्यय के निधियन के लिए तथा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित एलडीसी विकास निधि से सृजित निधियों को रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समादत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा, परन्तु ऐसी प्रीमियम रकम तथा आंतरिक संसाधनों का वास्तव रूप में उपयोग पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता हो।

9. एलडीसी विकास निधि: (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी "एलडीसी विकास निधि" नामक निधि को सृजित तथा बनाए रखेगी।

(2) रिटर्न आन ईक्विटी के मद्दे प्रभार, ऋण पर ब्याज, अवक्षयण तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र की अन्य आय, जैसे रजिस्ट्रीकरण फीस, आवेदन फीस, अल्प-कालिक अवधि पंहुच प्रभार आदि एलडीसी विकास निधि में जमा किए जाएंगे।

- (3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ऋण प्रतिसंदाय, ब्याज तथा लाभांश संदाय के रूप में उद्भूत पूंजी की सर्विसिंग, आस्ति सृजन में अनुबद्ध ईक्विटी भाग को पूरा करने तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए मार्जिन धन और अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के निधियन के लिए एलडीसी विकास में जमा धन का उपयोग करने के लिए हकदार होगी ।
- (4) एलडीसी विकास निधि का उपयोग किसी अन्य राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (5) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा एलडीसी विकास निधि में जमा धन में से सृजित किसी आस्ति पर रिटर्न आन ईक्विटी तथा ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
- (6) आयोग प्रत्येक वर्ष एलडीसी विकास निधि का पुनर्विलोकन करेगी ।

अध्याय 3**वार्षिक प्रभारों तथा एनएलडीसी प्रभारों की संगणना**

10. **वार्षिक प्रभार:** प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए वार्षिक प्रभारों का अवधारण पृथक् रूप से किया जाय। एनएलडीसी के वार्षिक प्रभारों को विनियम 18 के खंड 3 में तथा कथित आधार पर आरएलडीसी को प्रभाजित किया जाएगा। आरएलडीसी के वार्षिक प्रभारों का संग्रहण प्रणाली प्रचालन प्रभारों तथा बाजार प्रचालन प्रभारों के रूप में किया जाएगा।

11. **वार्षिक प्रभारों के संघटक:** वार्षिक प्रभार निम्नलिखित संघटकों से मिलकर बनेंगे, अर्थात् ;

(क) रिटर्न आन ईक्विटी;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज;

(ग) अवक्षयण;

(घ) प्रचालन तथा रखरखाव खर्च मानव संसाधन खर्चों को

छोड़कर;

(ड.) मानव संसाधन खर्च;

(च) एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्च, तथा

(छ) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज।

12. **रिटर्न आन ईक्विटी:** (1) रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार अवधारित ईक्विटी आधार पर रूप में की जाएगी।

(2) रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना इस विनियम के उपखंड (3) के अनुसार कुल योग किए जाने वाले 16% के आधार पर पूर्व-कर पर की जाएगी।

(3) रिटर्न आन ईक्विटी की संगणना, ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए प्रसामान्य कर दर के साथ आधार दर का योग करके की जाएगी:

परन्तु यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान क्रमिक वर्ष के वित्त अधिनियम के संसुगत उपबंधों के आधार पर, ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वास्तविक कर दर की बाबत रिटर्न आन ईक्विटी को नियंत्रण अधिध की समाप्त पर ट्रूंग-अप किया जाएगा ।

(4) रिटर्न आन ईक्विटी की दर तीन दशमलव के लिए पूर्णांकित की जाएगी तथा निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी:-

पूर्व-कर रिटर्न आन ईक्विटी की दर= आधार दर (1.t)

जहां t उपखंड (3) के अनुसार लागू कर दर है ।

13. ऋण पूंजी पर ब्याज: (1) विनियम 8 के अनुसार अवधारित ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

(2) 1.4.2009 को बकाया मानकीय ऋण को सकल मानकीय ऋण से 31.3.2009 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय में कटौती करके तय किया जाएगा ।

(3) नियंत्रण अवधि के अपने-अपने वर्ष के लिए प्रतिसंदाय को उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के समान समझा जाएगा ।

(4) ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर, क्रमिक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को लागू वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर होगी:

परन्तु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है, किंतु मानकीय ऋण अभी भी बकाया है, तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि राष्ट्रीय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो ऊर्जा प्रणाली संचालन कंपनी की ब्याज की भारित औसत दर पर पूर्णतः विचार किया जाएगा ।

(5) ऋण पर ब्याज की संगणना ब्याज की भारित औसत दर को लागू करके वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर की जाएगी ।

(6) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ब्याज पर कुल बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनः वित्त का हर संभव प्रयास करेंगे जिससे उसका कुल फायदा फायदाग्राहियों को मिल सके तथा

ऐसे पुर्नवित्त से सहबद्ध लागत का वहन फायदाग्राहियों द्वारा किया जाएगा तथा शुद्ध लाभ का 2:1 के अनुपात में, यथास्थिति, उपयोक्ता तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के बीच विभाजित किया जाएगा ।

(7) ऋण के निबंधन तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुर्नवित्त की तारीख से दर्शित किया जाएगा ।

(8) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार विवाद के निपटान के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 जिसमें उसकी कानूनी अधिनयमिति भी है, के अनुसार आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यह कि उपयोक्ता ऋण के पुर्नवित्त से उदभूत किसी विवाद के लंबित होने के दौरान उपयोक्ता तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दावों पर ब्याज के मद्दे किसी भी संदाय को नहीं रोकेंगे ।

14. अवक्षयण: (1) अवयक्षण के प्रयोजन के लिए आधार मूल्य आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा ।

(2) आस्ति से साल्वेज मूल्य पर (आईटी उपस्कर तथा साफ्टवेयर को छोड़कर) 10% के रूप में विचार किया जाएगा तथा आस्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अवक्षयण अनुज्ञात किया जाएगा । आई टी उपस्करों तथा साफ्टवेयरों के साल्वेज मूल्य को शून्य समझा जाएगा तथा आस्ति के 100% मूल्य को अवक्षणीय माना जाएगा ।

(3) भूमि अवक्षणीय आस्ति नहीं है तथा इसकी लागत को आस्ति में पूंजी लागत के अवक्षणीय मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित किया जाएगा ।

(4) अवक्षयण की संगणना स्ट्रेट लाइन पद्धति तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से की जाएगी ।

(5) पूर्ण रूप से अवक्षयित आस्तियों को पृथक् रूप से दर्शित किया जाएगा ।

(6) उन आस्तियों, जो प्रयुक्त नहीं हैं या अप्रचलित घोषित किए गए हैं, के मूल्य को अवक्षयण की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से लिया जाएगा।

(7) अंतरण की तारीख को अतिशेष अवक्षणीय मूल्य को क्रमिक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए अंतरण की तारीख को ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी की लेखाबहियों में प्रविष्ट होने वाली आस्तियों के कुल अवक्षणीय मूल्य से संचयी अवक्षयण में कटौती करके तय किया जाएगा।

15. **प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर):** (1) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर) संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए वास्तविक प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किया जाएगा। ओ एंड एम खर्चे आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों, संदाय, स्टॉक में हानि, पूर्व अवधि समायोजन, दावों तथा अग्रिम अपलिखित, प्रावधानों आदि, यदि कोई हो, को छोड़कर प्रसामान्यीकृत किए जाएंगे।

(2) वर्ष 2004-05 2008-09 के लिए प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् प्रसामान्यीकृत प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में क्रमशः 2008-09 की स्तर पर प्रसामान्यीकृत प्रचालन तथा रखरखाव तथा तत्पश्चात् 2008-09 पर 2004-05 से 2008-2009 के लिए प्रसामान्यीकृत औसत प्रचालन तथा रख-रखाव खर्चों को औसतन तक लाने के लिए 5.17% की दर से वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए औसत प्रसामान्यीकृत प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में 2008-09 की कीमत स्तर पर 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी।

(3) टैरिफ अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में प्रति वर्ष 5.72% की दर पर और वृद्धि की जाएगी।

16. **मानव संसाधन खर्चे:** (1) मानव संसाधन खर्चे संपरीक्षित तुलनपत्र पर आधारित वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए वास्तविक मानव संसाधन खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किया

जाएगा । मानव संसाधन खर्चों को आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् प्रसामान्य मानव संसाधन खर्च, एम्स-ग्रेशिया, वीआरएस खर्चों, पूर्व अवधि समायोजन, दावों तथा अपलिखित अग्रिमों, उपबंधों, यदि कोई हो, को छोड़कर प्रसामान्यीकृत किया जाएगा ।

(2) वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में क्रमशः 2008-09 के स्तर पर प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों तथा तत्पश्चात् 2008-09 पर 2004-05 से 2008-2009 के लिए प्रसामान्यीकृत औसत मानव संसाधन खर्चों तक लाने के लिए औसतन 5.17% की दर से वृद्धि की जाएगी । वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए औसत प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में 2008-09 की कीमत स्तर पर 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी:

परन्तु यह कि वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन खर्चों को वर्ष 2009-10 के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारी लागत में 50% वृद्धि पर विचार करते हुए और सुव्यवस्थित किया जाएगा !

(3) वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन खर्चों में टैरिफ अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 5.72% की दर पर और वृद्धि की जाएगी !

17. कार्यकरण पूंजी पर ब्याज: (1) कार्यकरण पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

- (i) प्रचालन तथा रखरखाव खर्च एक मास के लिए मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर;
- (ii) एक मास के लिए मानव संसाधन खर्च;
- (iii) एक मास के लिए एनएलडीसी प्रभार; आदि
- (iv) आयोग द्वारा यथानुमादित प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभार के दो मास के समतुल्य प्राप्य ।

(2) कार्यकरण पूंजीकरण ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा 1.4.2009 को भारतीय स्टेट बैंक की अल्प-कालिक प्राइम उधार दर के बराबर होगी ।

(3) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज इस बात के होते हुए भी मानकीय आधार पर संदेय होगा कि ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ने किसी बाहरी अभिकरण के कार्यकरण पूंजी के लिए कोई ऋण नहीं लिया है ।

18. एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चों: (1) एक सीमा तक लागू, एनएलडीसी प्रभार की संगणना कार्यकरण पूंजी पर ब्याज के सिवाय, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के वार्षिक प्रभारों की संगणना करने के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति का अनुसरण करके की जाएगी ।

(2) उपगत वास्तविक खर्चों के अनुसार संगणित कारपोरेट कार्यालय खर्चों, प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(3) अपने-अपने क्षेत्रों में की गई मांग के आधार पर एनएलडीसी तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चों को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रभाजित किया जाएगा ।

अध्याय-4**फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण**

19. **संग्रहण:** (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इन विनियमों के अधीन यथा अवधारित फीसों तथा प्रभारों को संगृहीत करेगी ।

(2) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट उपयोक्ताओं तथा पावर एक्सचेंजों से रजिस्ट्रीकरण फीस तथा प्रभारों को उद्ग्रहीत करने के लिए हकदार होगी ।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी, किसी अन्य विनियम में यथा विनिर्दिष्ट उपयोक्ताओं तथा पावर एक्सचेंजों को दी जाने वाली किसी अन्य सेवाओं के लिए फीस तथा प्रभारों को उद्ग्रहीत तथा संगृहीत करने की हकदार होगी ।

20. **प्रणाली प्रचालन कृत्य तथा बाजार प्रचालन कृत्य के लिए संघटकों का आबंटन तथा प्रभाजन:** (1) प्रणाली प्रचालन कृत्य के लिए वार्षिक प्रभारों में वार्षिक प्रभारों का 80% समाविष्ट होगा ।

(2) बाजार प्रचालन के लिए वार्षिक प्रभारों में वार्षिक प्रभारों का शेष 20% समाविष्ट होगा ।

(3) प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभारों के लिए वार्षिक प्रभारों के आबंटन के अनुपात का पुनर्विलोकन आयोग द्वारा, समय-समय पर, किया जाएगा ।

21. **एसओसी तथा एमओसी का अवधारण:** प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभारों का अवधारण इन विनियमों के विनियम 20 में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक प्रभारों के विभिन्न संघटकों के आबंटन और/या प्रभाजन रकम को जोड़कर किया जाएगा ।

22. **एसओसी का संग्रहण:** (1) प्रणाली प्रभारों को नीचे दिए गए संनियमों के अनुसार उपयोक्ताओं से संगृहीत किया जाएगा:-

(i) अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञापतिधारी : प्रणाली प्रचालन प्रभारों का 10%

(ii) उत्पादन केन्द्र तथा विक्रेता : प्रणाली प्रचालन प्रभारों का 45%

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा क्रेता : प्रणाली प्रचालन प्रभारों का 45%

(2) प्रणाली प्रचालन प्रभार अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों पर मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को उनके स्वामित्वाधीन लाइन के सीवीटी- किमी के आधार पर उद्गृहीत किए जाएंगे।

(3) उत्पादन कंपनी तथा विक्रेता से प्रणाली प्रचालन प्रभार मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन में को, यथास्थिति, उनकी संस्थापित क्षमता या संविदागत क्षमता के अनुपात में संगृहीत किए जाएंगे।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा क्रेताओं से प्रणाली प्रचालन प्रभार मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को, यथास्थिति, अभी आबंटन तथा संविदागत क्षमताओं के योग के अनुपात में संगृहीत किए जाएंगे:

परन्तु यह कि अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य में इस प्रयोजन के लिए नोडल अभिकरण यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने के लिए आपस में सहमत होंगे। अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की ओर से राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से प्रणाली प्रचालन प्रभार एकत्रित करेंगे तथा उन्हें संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में जमा किया जाएगा।

23. **बाजार प्रचालन प्रभारों का संग्रहण:** बाजार प्रचालन प्रभार अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के सिवाय सभी उपयोक्ताओं से समान रूप से एकत्रित किए जाएंगे:

परन्तु यह कि राज्य में इस प्रयोजन के लिए अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र में नोडल में अभिकरण होगा यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने के लिए आपस में सहमत हों। अपने-अपने संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र केन्द्र की ओर से राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से बाजार प्रचालन प्रभार एकत्रित करेंगे तथा उन्हें संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में जमा करेंगे।

24. **रजिस्ट्रीकरण फीस:** (1) ऐसे सभी उपयोक्ताओं, जिनकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है, इन विनियमों के परिशिष्ट 4 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूपों में आवेदन फाइल करके संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ दस लाख रूपए की एक समय फीस संलग्न की जाएगी ।

(3) विद्यमान उपयोक्ता इन विनियमों के प्रवृत्त होने के एक मास के भीतर 10 लाख रूपए की फीस के साथ आवेदन फाइल करके संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में अपने आपको रजिस्टर करेंगे ।

(4) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र आवेदन की संवीक्षा तथा आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता पर अपना समाधान हो जाने के पश्चात अपनी स्वीकृति के बारे में आवेदक को सम्यक् रूप से सूचित करते हुए आवेदक को अपने रजिस्टर में रजिस्टर करेगा ।

(5) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं की सूची को बनाए रखेगा ।

25. **राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्च:** (1) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा कारपोरेट कार्यालय के सभी खर्चों को अपने-अपने क्षेत्र में की गई मांग के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रभाजित किए जाएंगे ।

(2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र रजिस्ट्रीकरण प्रयोजन के लिए प्रत्येक पावर एक्सचेंज से एक मुश्त रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 20 लाख रूपए की रकम एकत्रित करेगा ।

अध्याय-5**बिलिंग तथा अन्य प्रकीर्ण उपबंध**

26. **प्रभारों की बिलिंग तथा संदाय:** (1) इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा मासिक आधार पर प्रणाली प्रचालन प्रभार तथा बाजार प्रचालन प्रभार के लिए मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाएंगे तथा बिलों का संदाय उपयोक्ता द्वारा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को प्रत्यक्षतः किए जाएंगे ।
- (2) आर एल डी सी/एनएलडीसी फीस प्रभारों के संदाय में लगातार व्यतिक्रम को आयोग की जानकारी में लाया जाएगा ।
27. **विलंब से संदाय पर अधिभार:** इन विनियमों के अधीन संदेय प्रभारों के लिए यदि किसी बिल के संदाय में किसी उपयोक्ता द्वारा, बिलिंग की तारीख से 60 से अधिक अवधि का विलंब किया जाता है, तो प्रणाली प्रचालक द्वारा 1.25% की दर से विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।
28. **छूट:** प्रत्यय पत्र के माध्यम से बिलों का संदाय करने पर 2% की छूट अनुज्ञात की जाएगी । जहां बिल प्रस्तुत किए जाने के एक मास के भीतर प्रत्यय पत्र से भिन्न रीति में संदाय किया जाता है, वहां 1% की छूट अनुज्ञात दी जाएगी ।
29. **शिथिल करने की शक्ति:-** आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा ऐसे शिथिलीकरण से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लिखित में कारण दर्शाते हुए, शिथिल कर सकेगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

परिशिष्ट - 1

टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (एनएलडीसी/आरएलडीसी)

अनुक्रमणिका

एनएलडीसी/आरएलडीसी के लिए टैरिफ फाइल करने के वाले प्ररूप और
अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जांच-सूची

प्ररूप सं.	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (आरएलडीसी)	टिक
प्ररूप-1	सारांश शीट	
प्ररूप-2	टैरिफ की संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर	
प्ररूप-3	विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश	
प्ररूप-4क	प्राक्कलित पूंजी लागत का सारांश और नई परियोजना को स्थापित करने की अनुसूची	
प्ररूप-4ख	पूंजी लागत के तत्त्ववार ब्यौरे	
प्ररूप-4ग	संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों के ब्यौरे	
प्ररूप-4घ	सीओडी तक वित्तीय पैकेज	
प्ररूप-4ङ	सीओडी के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण	
प्ररूप-4च	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप-4छ	चालू पूंजी संकर्म का विवरण	
प्ररूप-4ज	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप-4झ	विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे	
प्ररूप-5क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-5ख	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना	
प्ररूप-5ग	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-5घ	परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-5ङ	विभिन्न आरएलडीसी को कारपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप-6क	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप-6ख	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप-7क	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे	
प्ररूप-7ख	मानव संसाधन के ब्यौरे	
प्ररूप-7ग	भरम्मत तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-7घ	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-8	कामकाज पूंजी पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-9	आईडीसी और वित्तीय प्रभारों की संगणना के लिए डाउन अनुसूची	
प्ररूप-10	वास्तविक नकद व्यय	

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.सं.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1.	समामेलन का प्रमाणपत्र, कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र, संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद (के.वि.वि.आ. को पहली बार टैरिफ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी द्वारा स्थापित नए केन्द्रों के लिए)	
2.	नई पारेषण प्रणाली और सुसंगत वर्षों के लिए सभी अनुसूचियों और परिशिष्टियों सहित केन्द्र-वार और कारपोरेट संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे	
3.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियां	
4.	पूँजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां	
5.	विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां	
6.	फायदाग्रहियों, यदि कोई हों, के साथ बी.पी.टी.ए./टीएसए की प्रतियां	
7.	समय और अधिक लागत, यदि लागू हो को देने वाले कारणों का ब्यौरे-वार टिप्पण	
8.	कोई अन्य जानकारी (रूपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण : याचिका की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (फारमेट शब्दों में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी सी.डी/फ्लॉपी डिस्क के रूप में भी प्रस्तुत की जाएगी ;

प्ररूप- 1

सारांश शीट

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिटर्न आन इन्विटी ¹						
2	ऋण पूंजी पर ब्याज						
3	अवक्षयण						
4	प्रचालन और रख-रखाव व्यय मानव संसाधन को छोड़कर						
5	मानव संसाधन खर्च						
6	एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्च						
7	कामकाज पूंजी पर ब्याज						
	कुल						

1 संगणना के ब्योरे विनियम के अनुसार विचार किए गए इन्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 2

टैरिफ की संगणना करने के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

विशिष्टियां	यूनिट	यथा विद्यमान	मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष					
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ईक्विटी पर रिटर्न की आधार दर	%							
कर दर	%							
कामकाज पूंजी के लिए मास में प्राप्य	मास में							
कामकाज पूंजी के लिए मास में ओएंडएम खर्च मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर	मास में							
कामकाज पूंजी के लिए मानव संसाधन खर्च	मास में							
कामकाज पूंजी के लिए एनएलडीसी प्रभार	मास में							
..... को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य उधर दर	%							
1 कृपया सुसंगत तारीख का उल्लेख करें।								

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 3

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

के.वि.वि.आ. द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
..... को स्वीकृत पूंजी लागत	
(के.वि.वि.आ. के सुसंगत आदेश का याचिका सं. और तारीख सहित संदर्भ दें)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत, यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)	
	याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

नई परियोजनाएं

प्राक्कलित पूंजी लागत

प्राक्कलित	पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अभिकरण		
प्राक्कलित	पूंजी लागत के अनुमोदन की तारीख		
अनुमोदित	प्राक्कलन की कीमत स्तर	वर्तमान दिन लागत वर्ष ... तिमाही की समाप्ति के अनुसार	संपूर्ण लागत केन्द्र की अनुसूचित प्राणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत	प्राक्कलित के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर			
	विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)		
	घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
	पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी हैं (रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत			
	विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)		
	घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)		
	विचार किए गए करों और शुल्कों की दर		
	पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी हैं		

विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी है (रूपए करोड़ में)		
लगाए जाने की अनुसूची		
.....		
.....		
अंतिम यूनिट/ब्लॉक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
<p>टिप्पण :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए । 2. पूंजी लागत के ब्यौरे यथालागू प्ररूप 4ख या 4ग के अनुसार दिए जाने हैं । 3. आईडीसी और वित्तीय प्रभारों के ब्यौरे प्ररूप 9 के अनुसार दिए जाने हैं । 		

साधिकाकर्ता

प्ररूप - 4ख

पूंजी लागत का तत्त्ववार ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रूप करोड़ में)

क्रम सं.	ब्रेक डाउन	मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वास्तविक पूंजी	दायित्व/ उपबंध.	परिवर्तन (3-4-5)	परिवर्तन के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क.	प्रारंभिक संकर्म तथा भूमि					
1.1	डिजाइन तथा इंजीनियरिंग					
1.2	भूमि					
1.3	स्थल तैयारी					
ख.	सिविल संकर्म					
2.1	नियंत्रण कक्ष तथा कार्यालय भवन जिसमें एचवीएसी भी है					
2.2	टाउनशिप तथा कालोनी					
2.3	सड़कें तथा जल निकासी					
2.4	संरचना के लिए नींव					
2.5	प्रकीर्ण सिविल संकर्म					
2.0	कुल सिविल संकर्म					
ग.	उपस्कर					
3.1						
3.2						
3.3						
3.0	कुल उपस्कर					
घ.	पुर्जें					
4.1						
4.2						
4.3						
4.0	कुल पुर्जें					
ड.	कर और शुल्क					
5.1	सीमा-शुल्क					
5.2	अन्य कर और शुल्क					
5.0	कुल कर और शुल्क					

च.	संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय						
6.1	स्थल पर्यवेक्षण						
6.2	औजार और संयंत्र						
6.3	संनिर्माण बीमा						
6.0	कुल संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय						
छ.	मुख्य शीर्ष						
7.1	स्थापना						
7.2	संपरीक्षा और लेखा						
7.3	आकस्मिकता						
7.0	कुल मुख्य शीर्ष						
8.0	पूँजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर						
ज.	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत						
9.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)						
9.2	वित्तीय प्रभार (एफसी)						
9.3	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी)						
9.4	हेजिंग लागत						
9.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत का योग						
10.0	पूँजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत भी है						
<p>टिप्पण :</p> <p>1. अधिक समय और लागत लगने की दशा में, ऐसे अधिक समय और लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए और चाहे अधिक समय और लागत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे हों ।</p>							

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4 ग

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेज का ब्यौरा

एनएलडीसी/आएलडीसी का नाम

क्रम सं.	नाम/संनिर्माण सं. प्रदाय/ सेवा पैकेज	कार्य परिधि ¹ (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)	क्या आईसीबी/डीसीबी/विभागीय/निक्षेप कार्य के माध्यम से प्रदान किया गया है	प्राप्त बोली की संख्या	प्रदान करने की तारीख	कार्य आरंभ करने की तारीख	कार्य करने की तारीख	कार्य का मूल्य ² (रूपए करोड़ में)	कीमत में फर्म या वृद्धि सहित	पूरा होने की तारीख, जो भी पहले हो, वास्तविक (रूपए करोड़ में)	या प्रचालन, जो भी तक व्यय	कर शुल्क और आईडीसी	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत	उप-योग

1 किसी भी पैकेज में कार्य की परिधि संभावित सीमा तक प्ररूप 5ख में कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्र के लिए पूजी लागत ब्यौरों की पुष्टि में उपदर्शित की जानी चाहिए । नैस/द्रव ईंधन आधारित परियोजना की दशा में, सुसंगत शीर्षों में उसी शीति ब्रेक डाउन प्ररूप 5 ग के अनुसार होगा ।

2 यदि यहां कोई ऐसा पैकेज हो, जिसे भारतीय रूपए और विदेशी मुद्रा में दर्शित किया जाना है, तो उसे पृथक रूप से : मुद्रा, विनिमय दर और तारीख, अर्थात् 4.1.2009 को यूएस \$= 48 रूपए पर 80 करोड़ रूपए + यूएस \$+ 50एम = 320 करोड़ रूपए के साथ दर्शित किया जाना चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4घ

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
वा.प्र. की तारीख को परियोजना लागत¹
वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख²

(रूपए लाखों में)

1	यथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को यथास्वीकृत	
	मुद्रा और रकम ³		मुद्रा और रकम ³		मुद्रा और रकम ³	
	2	3	4	5	6	7
ऋण - 1	यूएस \$	200एम				
ऋण - 2						
ऋण - 3						
और उससे आगे						
ईक्विटी						
	विदेशी					
	घरेलू					
कुल ईक्विटी						
उधार : ईक्विटी अनुपात						

1 अर्थात् यूएस \$ 200 मि. + 400 करोड़ रूपए या 1 यूएस \$ = 48 रु. की विनिमय दर पर 1360 करोड़ रूपए जिसमें यूएस \$ 200मि. भी है।

2 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अंतिम यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन अभिप्रेत है।

3 उदाहरणार्थ : यूएस \$ 200मि. आदि।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4ड

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम :

क्रम सं.	वर्ष	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित कार्य/ उपस्कर	पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम	प्रस्ताव के अनुसार न्यायोचित	वह विनियम जिसके अधीन सम्मिलित है	स्वीकृत लागत ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कुल					

¹ यदि परियोजना पूरी कर दी गई है तथा पहले कोई टैरिफ अधिसूचना जारी कर दी गई है तो (प्राधिकारी का नाम) द्वारा पहले ही जारी टैरिफ अधिसूचना के प्रयोजन के लिए यथास्वीकृत लागत दत्त हुए स्तंभ-7 भरें (टैरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें)

टिप्पण :

1. प्ररूप को क्रमानुसार वर्षवार भरें जिसमें फायदाग्राहियों की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभ का विस्तृत ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शित हो ।

2. यदि आरंभिक पुर्जे किसी भी उपस्कर के साथ क्रय किए जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक् रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए ।

याचिकाकर्ता

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

पूँजी लागत का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को ¹
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारम्भिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ(क) में पूँजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
आ	क) अवधि के दौरान अतिरिक्त कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त आ(क) में पूँजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
इ	क) बहियों के अनुसार अंतिम कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त इ(क) में पूँजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	

1. सुसंगत तारीख/तारीखों से केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4छ

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

बाढ़ पूंजी संकन का विवरण
(सुसंगत तारीख तथा बर्नवार के लिए विधा जाना है)

		सुसंगत तारीख को
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक सीडक्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
आ	क) अवधि के दौरान सीडक्यूआईपी में जोड़/समायोजन	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	क) अवधि के दौरान सीडक्यूआईपी की नियत आवृत्ति का पूंजीकरण/अंतरण	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडक्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीखों से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अंगिप्रेत है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4ज

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम :

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से आरंभ)	प्रस्तापित/वास्तविक					स्वीकृत				
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संकर्म/उपस्कर में पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण										
ईक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

- वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष हैं।
- अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररूप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता

प्रारूप - 4अ

विदेशी इक्विटी के ब्यारे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यारे)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम
इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर

(रकम लाखों में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	वर्ष 1			वर्ष 2			वर्ष 3 और उससे आगे					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु)
	मुद्रा1												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
ख	मुद्रा2												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
	मुद्रा3												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
ख	मुद्रा4 और उससे आगे												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस \$ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है।

2 वर्ष के दौरान एक से अधिक बार इक्विटी इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा की दर की जानी है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 5क

मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाख में)

विशिष्टियाँ	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत कुल मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिककर्ता

प्ररूप - 5ख

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारत आसत दर की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
2	3	4	5	6	7	8
ऋण-1						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
आसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
ऋण - 2						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
आसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
ऋण 3 और उससे आगे						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						

घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय							
कुल ऋण - अंतिम							
औसत कुल ऋण							
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर							
ऋण पर ब्याज							
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय							
कुल ऋण							
कुल ऋण - आरंभिक							
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय							
कुल ऋण - आरंभिक							
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी							
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय							
कुल ऋण - अंतिम							
औसत कुल ऋण							
ऋण पर ब्याज							
ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर							

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, मूल मुद्रा की संगणना इसी प्ररूप में पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है।

याचिकाकर्ता

ख	हेजिंग की दशा में	हेजिंग की तारीख	हेजिंग की अवधि	हेजिंग की लागत	मुद्राओं और उससे आगे	निकासी की तारीख पर	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख	आज की अनुसूचित संदाय तारीख	द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर	हेजिंग की दशा में	हेजिंग की तारीख	हेजिंग की अवधि	हेजिंग की लागत
क.1													
2													
3													
4													
ख													
1													
2													
3													

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस \$ की एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है।

2 वर्षों में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है।

3 वर्षों के दौरान एक से अधिक हेजिंग या साग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यारे प्रत्येक हेजिंग के ब्यारे प्रस्तुत किए जाने हैं

4 वर्षों के दौरान एक से अधिक हेजिंग या साग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यारे प्रत्येक हेजिंग के ब्यारे प्रस्तुत किए जाने हैं

यहां लागू (जैसे सेकें गवा कर) के ब्यारे जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित है, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए।

कमीशन डाट से डाट के एनर ।

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड डाटाडिग्रेड

प्राधिकारकर्ता

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यारे

प्ररूप - 5घ

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

विशिष्टियां	(रूपए लाखों में)					
	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत ¹						
मुद्रा ²						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम ^{3,4,5,13,16}						
ब्याज का प्रकार ⁵						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो ⁷						
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो ⁸	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
क्या कोई कैपस/फ्लोर है ⁹						
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि ¹⁰						
..... से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि ¹¹						
..... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि						
प्रतिसंदाय आवृत्ति ¹²						
प्रतिसंदाय किस्त ^{13,14}						
आधारिक विनिमय दर ¹⁶						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यारा विनिर्दिष्ट करें ¹⁷						

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, फिएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस\$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यारे ।

- 4 वधा ऋण पुनर्वित्त किया गया है, पुनर्वित्त ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक् रूप से दिए जाने हैं ।
- 5 यदि विभिन्न युनिटों में ऋण के लिए पृथक् रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी युनिटों के लिए पृथक् रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।
- 6 ब्याज प्रकार से काहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।
- 7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।
- 8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।
- 9 समय पर कम्प/भरलोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।
- 10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।
- 11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।
- 12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।
- 13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक् रूप से भी दी जाए ।
- 14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए ।
- 15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।
- 16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।
- 17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।
- 18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।
- 19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुनर्वित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुनर्वित्त किया गया है, पुनर्वित्त ऋण की रकम, पुनर्वित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुनर्वित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभाव आदि ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 5ड

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यारे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रूपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ऋण का स्रोत ¹							
मुद्रा ²							
स्वीकृत ऋण की रकम							
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम ^{3,4,5,13,15}							
ब्याज का प्रकार ⁶							
नियत-ब्याज दर, यदि लागू हो							
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो ⁷							
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो ⁸	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	
क्या कोई कैपस/फ्लोर है ⁹							
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें							
विलम्बन अवधि ¹⁰							
..... से प्रभावी विलम्बन अवधि							
प्रतिसंदाय अवधि ¹¹							
..... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि							
प्रतिसंदाय आवृत्ति ¹²							
प्रतिसंदाय किस्त ^{13,14}							
आधारिक विनिमय दर ¹⁶							
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है							
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें ¹⁷							
विभिन्न पारेषण तत्वों को ऋण पैकेज का वितरण							
पूर्वी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							

कुल							
पश्चिमी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
उत्तरी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
दक्षिणी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
पारेषण तत्व 1							
पारेषण तत्व 2 और उससे आगे							
कुल							
आरएलडीसी							
कुल							

- 1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण किया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।
- 2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस\$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।
- 3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.09 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।
- 4 क्या ऋण पुनर्वित्त किया गया है, पुनर्वित्त ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं ।
- 5 यदि विभिन्न यूनितों में टैरिफ के लिए पृथक् रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनितों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।
- 6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।
- 7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

- 8 मार्जिन से अधिक अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।
- 9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व असेकित नहीं हैं ।
- 10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व असेकित नहीं हैं ।
- 11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।
- 12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।
- 13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक् रूप से भी दी जाए ।
- 14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए ।
- 15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।
- 16 आधारीक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वार्षिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।
- 17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यारे विनिर्दिष्ट करें ।
- 18 ट्रयंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।
- 19 ट्रयंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुनर्वित्त के ब्यारे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यारे जिसको पुनर्वित्त किया गया है, पुनर्वित्त ऋण की रकम, पुनर्वित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तों, पुनर्वित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 6क

अवक्षयण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2000-01 तक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूजी लागत का अवक्षयण									
अतिरिक्त पूजीकरण पर अवक्षयण									
अतिरिक्त पूजीकरण की रकम									
अवक्षयण रकम									
एफईआरवी के ब्यौरे									
एफईआरवी की वह रकम जिस पर अवक्षयण प्रभारित किया गया है									
अवक्षयण रकम									
वर्ष के दौरान प्राप्त अवक्षयण									
वर्ष के दौरान वसूले गए अवक्षयण के लिए अग्रिम									
वर्ष के दौरान वसूला गया अवक्षयण तथा अग्रिम के लिए अवक्षयण									
वर्ष तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण और अग्रिम के लिए अवक्षयण									

1. यदि 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ का आयोग द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है तो 2004-09 तक टैरिफ में वसूले गए अवक्षयण को उसी प्ररूप में पृथक् रूप से समर्थक ब्यौरों सहित वर्षवार ब्यौरों के साथ दिया जाए ।

2. एफईआरवी तथा एएडी के ब्यौरों की दशा में, लागू अवधि के लिए जानकारी दे ।

याचिककर्ता

प्ररूप - 6ख

अवक्षयण दर की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपय लाख में)

क्रम सं.	आस्तियों का नाम ¹	31.3.2009 को या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को जो भी बाद में हो तथा 31.3.2014 तक तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती कुल ब्लॉक	के वि वि आ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.3.2014 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4 = स्तंभ 2 x 3
1.	भूमि			
2.	भवन			
3.	और उससे आगे			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

24.				
25.				
26.				
	कुल			
	अवक्षयण औसत दर (%)	भारित		

1. आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची में उल्लिखित आस्तियों के विवरण के अनुसार होने चाहिए।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 7क

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

प्रचालन तथा रखरखाव खर्चें मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

	मदें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	1	2	3	4	5	6
1	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					
2	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चें, आदि					
3	कुल					

टिप्पण : 1 संलग्न प्ररूपों के अनुसार इन व्ययों के ब्यौरे

2. सभी आरएलडीसी, एनएलडीसी तथा कारपोरेट कार्यालय के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 7ख

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

मानव संसाधन खर्चों के ब्यौरे

अवधि

- 1 पूर्व पांच वर्षों के लिए वास्तविक
- 2 चालू वर्ष के पहले छह मास के लिए वास्तविक
- 3 चालू वर्ष के अंतिम छह मास के लिए प्रत्याशित
- 4 आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित

क्रम सं.	लेखा कोड	विशिष्टियां	कार्यपालक		गैर-कार्यपालक		कुल
			तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी	
1	वेतन						
2	अतिकाल भत्ता						
3	महंगाई भत्ता						
4	अन्य भत्ता						
5	बोनस						
6	उत्पादकता लिक्ड प्रोत्साहन						
7	कुल योग (1 से 6)						
	अन्य कर्मचारिवृद्ध लागत						
8	चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति						
9	छुट्टी यात्रा रियायत						
10	मकान किराये की प्रतिपूर्ति						
11	कर्मचारिवृद्ध को अंतिम राहत						
12	अर्जित छुट्टी का भुनाना						

13	मानद्वय						
14	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन संदाय						
15	एक्स-ग्रेशिया						
16	वीजिएएस पर व्यय						
17	कुल योग (8 से 16 तक)						
18	कर्मचारिवृद् कल्याण खर्च						
19	टर्मिनल फायदे						
20	प्रावधान						
21	अन्य विनिर्दिष्ट करे						
22	कुल (7+17+18+ 19+20+21)						
23	वसूला गया राजस्व, यदि कोई हो						
24	कुल योग (22-23)						
	अतिरिक्त जानकारी						
1	को कर्मचारियों की संख्या						
	(i) कार्यपालक						
	(ii) गैर-कार्यपालक						
	(iii) कुशल						
	(iv) गैर-कुशल						
	कुल						
2	निम्नलिखित के अनुसार कर्मचारियों की संख्या						
	(i) संचालित मेगावाट						
	(ii) संचालित एमकेडब्ल्यूएच						

- I) दिए गए शीर्ष के अधीन ओएंडएम खर्चों में 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि को पर्याप्त कारण के साथ बताया जाना चाहिए ।
- II) आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए ।
- III) वर्ष 2004-05 की पूर्व अवधि से संबंधित बकायों के ब्यौरे, यदि कोई हों, पृथक् रूप से दर्शित किए जाने चाहिए ।
- IV) प्रत्येक वर्ष के दौरान वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को उपदर्शित किया जाना चाहिए ।
- V) प्रसामान्य खर्चों के ब्यौरों को, यदि कोई हों, पृथक् रूप से दर्शित किया जाना चाहिए ।
- VI) वेतन पुनरीक्षण/बकायों के मद्दे 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कर्मचारी लागत में मासिकवार उपबंध किए जाने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 7ग

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

मरम्मत तथा रखरखाव खर्च

क. मरम्मत तथा रखरखाव खर्च

क्रम सं.	विवरण	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन
			पहले मास के लिए वास्तविक	छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
1.	भंडार तथा पुर्जों की खपत					
2.	भंडार तथा पुर्जों की हानि					
3.	संयंत्र तथा मशीनरी मरम्मत तथा रखरखाव					
4.	सिविल संकर्म मरम्मत तथा रखरखाव					
5.	वार्षिक अनुस्क्षण संचिदा (4क+4ख +4ग)					
5क.	- संयंत्र तथा मशीनरी					
5ख	- सिविल मरम्मत तथा रखरखाव					
5ग	- अन्य					
6.	अन्य (विनिदिष्ट करें)					
7.	कुल (1+2+3+4 +5+6)					
8.	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हों					
9.	कुल योग (7-8)					

ख. मरम्मत तथा रखरखाव खर्च (विनियम के अनुसार)

विशिष्टियां	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के 1 अप्रैल को स्वीकृत लागत					
मरम्मत तथा रखरखाव खर्च					
पूजी लागत की प्रतिशतता के रूप में मरम्मत तथा रखरखाव					

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 7घ

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्रायकलन
			पहले मास के लिए वास्तविक	छह मास के लिए प्रक्षेपण	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	

रुपए लाख में

संपत्ति से संबंधित खर्च							
1	अनुज्ञप्ति फीस						
2	किराया						
3	दर तथा कर						
4	बीमा						
5	दुर्घटना निधि में आशदान	आरक्षित					
6	उप-योग						
	संचार						
7	टेलीफोन ट्रंककाल	तथा					
8	पोस्टेज टेलीग्राफ	तथा					
9	टेलेक्स, प्रभार फैक्स	टेलीप्रिंटर तथा टेली					
10	कूरियर प्रभार						
11	अन्य						

12	उपयोग						
	वृत्तिक प्रभार						
13	विधिक खर्च						
14	परामर्शी प्रभार						
15	तकनीकी फीस						
16	संपरीक्षा फीस						
17	अन्य प्रभार						
18	उप-योग						
	सबासी तथा यात्रा						
19	सवारी खर्च						
20	यात्रा खर्च						
21	वाहन किराया प्रभार						
22	अन्य						
23	उपयोग						
	अन्य खर्च						
24	विद्युत प्रभार						
25	फीस तथा अंशदान						
26	पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं						
27	मुद्रण तथा स्टेशनरी						
28	विज्ञापन						
29	मनोरंजन						
30	देखरेख						
31	प्रकीर्ण						
32	संगठनात्मक विकास खर्च						
33	संदान						
34	प्रशिक्षण						

35	उप-योग							
	सामग्री संबंधित खर्चे							
36	डेमरेज तथा घाट सामग्री							
37	सफाई प्रभार							
38	परिवहन बीमा							
39	उपयोग							
40	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							
41	कुल (6+12+18+23+35+39+40)							
42	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हों							
43	कुल योग (41-42)							

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 8

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ओएंडएम खर्चे, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर						
2.	मानव संसाधन खर्चे						
3.	एनएलडीसी प्रभार						
4.	प्राप्य						
5.	कुल कार्यकरण पूंजी						
6.	ब्याज की दर						
7.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 9

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

आईडीसी और वित्त प्रभारों की संगणना के लिए डाउन अनुसूची

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	डाउन	क्वार्टर 1			क्वार्टर 2			क्वार्टर 3			
		विशिष्टिया	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को दिनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को दिनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को दिनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम
1	ऋण										
1.1	विदेशी ऋण										
1.1.1	विदेशी ऋण										
	डाउन रकम										
	आईडीसी										
	वित्त प्रभार										
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार										
	हेजिंग लागत										
1.1.2	विदेशी ऋण										
	डाउन रकम										
	आईडीसी										
	वित्त प्रभार										
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार										
	हेजिंग लागत										
1.1.3	विदेशी ऋण										
	डाउन रकम										
	आईडीसी										
	वित्त प्रभार										

1.2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	झू डाउन स्कम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1. ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप आधार पर की जाएगी। शुरु में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर जिसमें पुनः नियत तारीख भी है, को पृथक् रूप से दिया जाएगा।

3. बहु-एकक परियोजना की दशा में, प्रयुक्त पूंजीकरण के ब्यौरों को दिया जाना है।

साधिकाकर्ता

प्ररूप -10

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर-1	क्वार्टर-2	क्वार्टर-3	क्वार्टर-एन (सीओडी)
ठेकेदार/फायदाग्राहियों को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करें।

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट - 2

[विनियम 7 के खंड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु]

(कंपनी का नाम)	} स्पष्ट अक्षरों में
(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	

1. ऊमर नामित आवेदक ने (उत्पादन केंद्र/पारेषण प्रणाली का ना दे) के टैरिफ के अवधारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है।

2. एनएलडीसी/आरएलडीसी के उपयोक्ता निम्नलिखित हैं :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

3. परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रुपए लाख में) -

मूल :

अंतिम (पुनरीक्षित) :

4. वह प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है .:

5. वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख

मूल :

अंतिम (पुनरीक्षित) :

6. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख :

7. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपए में) :

8. टैरिफ के ब्यौरे (लागू भाग को ही प्रकाशित करें)

(रुपए लाख में)

	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	अवधारित किए जाने के लिए वर्षवार टैरिफ					
		पूर्व वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. आरएलडीसी							
2. एनएलडीसी							

9. टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है ।

10. आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110001 के समक्ष फाइल की जा सकेगी ।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पदनाम

परिशिष्ट - 3

अवक्षयण अनुसूची

क्रम सं.	आस्ति की विशिष्टियां	अवक्षयण दर (सात्विक मूल्य = 10%)
		एसएलएम
अ.	पूर्ण स्वामित्व में भूमि	0.00%
आ.	पट्टे पर ली गई भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	व्यक्तिगत स्थल की लागत	3.34%
क	अन्य आस्तियां	
(क)	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरूम	3.34%
(ii)	अंतर्विष्ट संयंत्र तथा मशीनरी	3.34%
(iii)	लकड़ी से बने अस्थायी खड़ी संरचना	100.00%
(iv)	कच्ची सड़क से मिनल सड़कें	3.34%
(v)	अन्य	3.34%
ख	ट्रांसफार्मर्स, कियोस्क उप-स्टेशन उपकरण एवं अन्य मियत साधित्र (संयंत्र नींव सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर नींव सहित 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
ग	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित	5.28%
घ	साइटिंग अरेस्टर	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोस कन्डेंसर	5.28%

ड	बैटरी	5.28%
(i)	ज्वाइन्ट बॉक्स तथा डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
च	सपोर्ट सहित अखर हेड लाइन	
(i)	66 के.वी. से अधिक के नामिनल वोल्टेज पर फ़ैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन पर लाइनें	5.28%
(ii)	13.2 कि. वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, नामिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाइनें	5.28%
(iii)	स्टील या इन्फ़ोर्सिड कंक्रीट सपोर्ट्स लाइनें	5.28%
(iv)	शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाइनें	5.28%
छ	मीटर	5.28%
ज	सेल्फ़ प्रोपेल्ड वैहिकल	9.50%
झ	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टैटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
ञ	कार्यालय फर्नीचर एवं साज-सज्जा	6.33%
(i)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(ii)	फ़िटिंग एवं साधित्रों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइन की फ़िटिंगें	5.28%
ट	किसी-किसी पर लिए गए उपस्कर	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
ठ	संस्कार उपकरण	
(i)	रेडियो एवं उच्च बासम्बस्ता कैरियर प्रणाली	6.33%

(ii)	टेलीफोन लाइन एवं टेलीफोन	6.33%
ड	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर	15.00%
ढ.	साफ्टवेयर	30.00%
ण	कोई अन्य आस्ति जो उपरोक्त सम्मिलित नहीं है	5.28%

परिशिष्ट - 4

(विनियम 24 के खंड 1 के अनुपालन में)

1. ईकाई का नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता :
3. वह क्षेत्र जिसमें रजिस्ट्रीकरण की वांछ की गई है :
 - i. उत्तर-पूर्वी
 - ii. उत्तर
 - iii. पूर्व
 - iv. पश्चिम
 - v. दक्षिण
4. उपयोगित प्रवर्ग
 - i. उत्पादन केंद्र
 - ii. विक्रेता
 - iii. क्रेता
 - iv. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
 - v. वितरण अनुज्ञप्तिधारी
5. सम्बन्धिता ब्योरे (अंतिम वित्तीय वर्ष के 31वें मार्च को) :
 - i. प्रवर्ग - उत्पादन केंद्र
 - i. कुल संस्थापित क्षमता
 - ii. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
 - iii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान :

क्रम सं.	संयोजन का स्थान	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों की संख्या

ii. प्रवर्ग - विक्रेता/क्रेता/वितरण अनुज्ञापिधारी

- i. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
- ii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान :

क्रम सं.	संयोजन का स्थान	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों की संख्या

iii. प्रवर्ग - पारेषण अनुज्ञापिधारी (अंतर-राज्यिक)

- i. सब स्टेशन :

क्रम सं.	सब-स्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या	कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता या डिजाइन एमवीए हैंडलिंग क्षमता यदि स्विचिंग स्टेशन

- ii. पारेषण लाइन :

क्रम सं.	वोल्टेज स्तर (केवी)	पारेषण लाइनों की संख्या	कुल सर्किट किलोमीटर

6. आरएलडीसी/एनएलडीसी से संबंधित मीटरों के लिए उस व्यक्ति के धीरे धीरे संपर्क किया जाना है :

- i. नाम
- ii. पदनाम
- iii. टेलीफोन सं.
- iv. मोबाइल संख्या
- v. ई-मेल पता
- vi. पोस्टल पता

उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

संपर्क संख्या :

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2009

No. L-7/145(160)/2008-CERC.—

In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER 1**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (fees and charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Scope and extent of application. - These regulations shall be applicable for determination for fees and charges of Regional Load Despatch Centres.

3. Definitions. - In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(1) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) 'additional capitalization' means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project and admitted by the Commission after prudence check;

(3) 'auditor' means an auditor appointed by the Power System Operation Company, qualified for appointment as an auditor in accordance with the provisions of sections 224, or section 233B or section 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any other law for the time being in force;

- (4) **'buyer'** means a person buying power through medium term or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by the Regional Load Despatch Centre;
- (5) **'capital cost'** means the capital cost as defined in **regulation 6** of these regulations;
- (6) **'capital expenditure (CAPEX) plan'** means the expenditure of capital nature planned to be incurred during control period for creation of the assets of the Regional Load Despatch Centre;
- (7) **'charges'** means recurring and monthly payments to be collected by the Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre or by the Power System Operation Company on its behalf for the services rendered;
- (8) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
- (9) **'contracted capacity'** means the capacity arranged through long term or medium term access;
- (10) **'control period'** means a period of five years starting from 1.4.2009;
- (11) **'day'** means the 24 hour period starting at 0000 hour;
- (12) **'expenditure incurred'** means the fund, whether the equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments and the liabilities for which no payment has been made;
- (13) **'fees'** means the one-time or annual fixed payments collected by the Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre or by the Power System Operation Company on its behalf for the services rendered on account of registration, membership or any other account as specified by the Commission from time to time;
- (14) **'licensee'** means a person granted a licence under Section 14 of the Act;
- (15) **'market operation function'** includes functions of scheduling, despatch, metering, data collection, energy accounting and settlement, transmission loss calculation and apportionment, operation of pool account and congestion charge account, administering ancillary services, information dissemination and any other functions assigned to the RLDCs/NLDC by the Electricity Act 2003 or by CERC regulations and orders;

- (16) **'National Load Despatch Centre'** or **'NLDC'** means the centre established under sub-section (1) of section 26 of the Act;
- (17) **'pool account'** means regional accounts for payments regarding Unscheduled Interchanges (UI Account) or Reactive Energy Exchanges (Reactive Energy Account) or any other such Accounts which may be operated by RLDCs/NLDC from time to time as per the Regulations or directions of CERC;
- (18) **'region'** means any one of the regions demarcated by the Central Government under Section 25 of the Act;
- (19) **'regional entity'** means such persons whose scheduling, metering and energy accounting is done at the regional level;
- (20) **'Regional Load Despatch Centre'** or **'RLDC'** means the centre established under sub-section (1) of section 27 of the Act;
- (21) **'scheme'** means the facilities and equipments associated with and installed at the Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre (NLDC) and Corporate office of Power System Operation Company, as the case may be, and also includes but not limited to the following, namely:-
- (i) computer systems, hardware and software,
 - (ii) auxiliary power supply system comprising Uninterrupted Power Supply, Diesel Generating Set and DC power system,
 - (iii) general telephone, fax and other off line communication system,
 - (iv) other infrastructure facilities, such as air-conditioning, fire-fighting and construction and renovation of buildings,
 - (v) any innovative schemes R & D projects and pilot projects for better system operation, such as Synchrophasors, System Protection Scheme,
 - (vi) Back-up control centers for RLDCs,
 - (vii) Surveillance Camera System, and
 - (viii) Cyber Security System;

(22) **'seller'** means a person supplying power through medium term or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by Regional Load Despatch Centre;

(23) **'Power System Operation Company'** means a company engaged in the operation of the National Load Despatch Centre in accordance with Section 26 of the Act and Regional Load Despatch Centres in accordance with Section 27 of the Act;

(24) **'system operation function'** includes monitoring of grid operations, supervision and control over the Inter-State Transmission System, real-time operations for grid control and dispatch, system restoration following grid disturbances, compiling and furnishing data pertaining to system operation, congestion management, black start coordination and any other function(s) assigned to the RLDC by the Electricity Act 2003 or by CERC regulations and orders;

(25) **'user'** means the generating companies, distribution licensees, buyers, sellers and inter state transmission licensees, as the case may be, who use the inter-state transmission network or the associated facilities and services of National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centres;

(26) **'year'** means a financial year;

(27) The words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them under the Act.

CHAPTER-2**APPLICATION AND PROCEDURE FOR DETERMINATION OF FEES AND CHARGES****AND LDC DEVELOPMENT FUND****4. Application for determination of fees and charges. - (1) The Power System Operation**

Company shall make an application separately for each Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre in the formats annexed as **Appendix - I** to these regulations, for determination of fees and charges for the control period, based on capital expenditure incurred and duly certified by the auditors and projected to be incurred during the control period based on the CAPEX plan.

(2) The application shall be accompanied by CAPEX plan for each RLDC and National Load Despatch Centre for the control period indicating inter-alia, the sources of funds for investment. The Commission shall carry out prudence check of the CAPEX Plan and approve the same along with the determination of the fees and charges.

(3) Before making the application, the applicant shall serve a copy of the application on each user.

(4) The applicant shall post complete application on its website, before making the application to the Commission and shall keep it in the website till its disposal by the Commission.

(5) While making the application, the applicant shall indicate whether copy of the complete application has been served on each of the user and whether the application has been posted on its website, with address of the website whereon the application has been posted.

(6) The application made shall be supported by affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application.

(7) The applicant shall, within 7 days after making the application, publish a notice of the application in at least two daily newspapers, one in English language and one in vernacular language, having circulation in each of the States or Union Territories where the users are situated, in the same language as of the daily newspaper in which the notice of the application is published, in the formats given in **Appendix - II** to these regulations.

5. Truing up of annual fees and operating charges. - (1) The Commission shall carry out truing up exercise along with the application for determination of fees and charges filed for the period after the expiry of the control period, for the fees and charges recovered up to 31.3.2014 and admitted by the Commission after prudence check at the time of truing up.

(2) The Power System Operation Company shall make an application, in the formats annexed as Appendix I to these regulations, for carrying out truing up exercise by 31.10.2014.

(3) The Power System Operation Company shall submit along with the application for truing up, details of capital expenditure including additional capital expenditure, sources of financing, human resource expenditure, operation and maintenance expenditure, etc incurred for the period from 1.4.2009 to 31.3.2014, duly audited and certified by the auditors.

(4) Where after the truing up the tariff recovered exceeds the tariff approved by the Commission under these regulations the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall refund to the beneficiaries or the transmission customers, as the case may be, the excess amount so recovered along with simple interest at the rate equal to short-term Prime Lending Rate of State Bank of India as on 1st April of the respective year.

(5) Where after the truing up the tariff recovered is less than the tariff approved by the Commission under these regulations the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall recover from the beneficiaries or the transmission customers, as the case may be, the under-recovered amount along with simple interest at the rate equal to the short-term Prime Lending Rate of State Bank of India as on 1st April of the respective year.

(6) The amount under-recovered or over-recovered, along with simple interest at the rate equal to the short-term Prime Lending Rate of State Bank of India as on 1st April of the respective year, shall be recovered or refunded by the generating company or the transmission licensee, as the case may be, in six equal monthly installments starting within three months from the date of the tariff order issued by the Commission after the truing up exercise.

6. **Capital Cost.-** (1) Capital cost for a Regional Load Despatch Centre shall include the expenditure incurred or projected to be incurred during the control period, including Interest During Construction (IDC) and financing charges, any gain or loss on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV) during construction, and Incidental Expenditure During Construction (IEDC) in line with the CAPEX plan:

Provided that the value of the assets not in use shall not form part of capital cost.

(2) The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of charges:

Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, IDC, IEDC, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission:

Provided further that the capital cost appearing in the books of accounts of the Power System Operation Company for the respective Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre as on the date of transfer along with the approved CAPEX plan for the control period shall be the basis for determination of charges.

7. **Additional Capitalisation.** - (1) The capital expenditure incurred or projected to be incurred after the date of commercial operation may, in its discretion, be admitted by the Commission, subject to prudence check:

Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets like tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, fans, washing machines, heat convectors, mattresses, carpets etc. brought after the date of commercial operation shall not be considered for additional capitalization for determination of fees and charges.

8. **Debt-Equity Ratio.** - (1) The actual debt: equity ratio appearing in the books of accounts as on the date of transfer shall be considered for the opening capital cost of National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centres.

(2) For an investment made on or after the date of transfer, if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan;

Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual equity shall be considered for determination of charges:

Provided further that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.

Explanation.- The premium, if any, raised by the Power System Operation Company while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserve, for the funding of the capital expenditure, and funds created out of the LDC Development Fund as approved by the Commission shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure.

9. **LDC Development Fund.** - (1) The Power System Operation Company shall create and maintain a separate fund called 'LDC Development Fund'.
- (2) The charges on account of return on equity, interest on loan, depreciation and other income of the Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch centre such as registration fee, application fee, short-term open access charges, etc shall be deposited to the LDC development fund.
- (3) The Power System Operation Company shall be entitled to utilise the money deposited to the LDC development fund for loan repayment, servicing the capital raised in the form of interest and dividend payment, meeting stipulated equity portion in asset creation and margin money for raising loan from the financial institutions and funding R & D projects.
- (4) The LDC development fund shall not be utilized for any other revenue expenditure.
- (5) Any asset created by the Power System Operation Company out of the money deposited to the LDC development fund shall not be considered for computation of return on equity and interest on loan.
- (6) The Commission shall review the LDC development fund every year.

CHAPTER - 3

COMPUTATION OF ANNUAL CHARGES AND NLDC CHARGES

10. **Annual charges.** - The annual charges shall be determined separately for each Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre. Annual charges of NLDC shall be apportioned to the RLDC on the basis as stated in clause 3 of Regulation 18. Annual charges of RLDC shall be collected in the form of system operation charges and market operation charges.
11. **Components of annual charges.** - The annual charges shall consist of the following components, namely:-

- (a) Return on equity;
- (b) Interest on loan capital;
- (c) Depreciation;

- (d) Operation and maintenance expenses excluding human resource expenses;
- (e) Human resource expenses;
- (f) NLDC charges and corporate office expenses; and
- (g) Interest on working capital;

12. Return on equity. - (1) Return on equity shall be computed in Rupee term on equity base determined in accordance with Regulation 8 of these regulations:

(2) Return on equity shall be computed on pre-tax base rate of 16% to be grossed up as per the sub-clause (3) of this regulation.

(3) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the normal tax rate for the financial year 2009-10 applicable to the Power System Operation Company:

Provided that return on equity with respect to the actual tax rate applicable to the Power System Operation Company in line with the provisions of the relevant Finance Acts of the respective year during control period shall be trued up at the end of the control period.

(4) Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the formula given below:

$$\text{Rate of pre-tax return on equity} = \frac{\text{Base rate}}{1-t}$$

Where t is the applicable tax rate in accordance with sub-clause (3).

13. Interest on loan capital. - (1) The loans determined in accordance with Regulation 8 shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan.

(2) The normative loan outstanding as on 1.4.2009 shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to 31.3.2009 from the gross normative loan.

(3) The repayment for respective year of the control period shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that year.

(4) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each year applicable to the respective Regional Load Despatch Centre.

Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered:

Provided further that if the Regional Load Despatch Centre does not have actual loan, then the weighted average rate of interest of the Power System Operation Company as a whole shall be considered.

(5) The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the year by applying the weighted average rate of interest.

(6) The Power System Operation Company shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the users and the net savings shall be shared between the users and the Power System Operation Company, as the case may be, in the ratio of 2:1.

(7) The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing.

(8) In case of dispute, any of the parties may make an application in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, as amended from time to time, including statutory re-enactment thereof for settlement of the dispute:

Provided that the users shall not withhold any payment on account of the interest claimed by the users and the Power System Operation Company during the pendency of any dispute arising out of re-financing of loan.

14. **Depreciation.** - (1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission.

(2) The salvage value of the asset (excluding IT equipments and Software's) shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset. The salvage value for IT equipments and Software's shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered depreciable.

(3) Land shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the capital cost of the asset.

(4) Depreciation shall be calculated annually based on Straight Line Method and at rates specified in **Appendix-III** to these regulations for the assets of the Regional Load Despatch Centre.

(5) Assets fully depreciated shall be shown separately

(6) Value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.

(7) The balance depreciable value as on the date of transfer shall be worked out by deducting the cumulative depreciation from the gross depreciable value of the assets appearing in the books of accounts of the Power System Operation Company for the respective Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre as on the date of transfer.

15. Operation and Maintenance Expenses (excluding human resource expenses). -

(1) Operation and maintenance expenses (excluding human resource expenses) shall be derived on the basis of actual operation and maintenance expenses for the years 2004-05 to 2008-09, based on the audited balance sheets. The O&M expenses shall be normalized by excluding abnormal operation and maintenance expenses, donation, loss-in-stock, prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc, if any, after prudence check by the Commission.

(2) The normalised operation and maintenance expenses, after prudence check, for the years 2004-05 to 2008-09, shall be escalated at the rate of 5.17% to arrive at the normalized operation and maintenance expenses at the 2008-09 price level respectively and then averaged to arrive at normalized average operation and maintenance expenses for the 2004-05 to 2008-09 at 2008-09 price level. The average normalized operation and maintenance expenses at 2008-09 price level shall be escalated at the rate of 5.72% to arrive at the operation and maintenance expenses for year 2009-10.

(3) The operation and maintenance expenses for the year 2009-10 shall be escalated further at the rate of 5.72% per annum to arrive at permissible operation and maintenance expenses for the subsequent years of the tariff period.

16. Human Resource Expenses. - (1) Human resource expenses shall be derived on the basis of actual human resource expenses for the years 2004-05 to 2008-09, based on the audited balance sheets. The human resource expenses shall be normalized by excluding abnormal Human resource expenses, ex-gratia, VRS expenses, prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc, if any, after prudence check by the Commission.

(2) The normalised human resource expenses, after prudence check, for the years 2004-05 to 2008-09, shall be escalated at the rate of 5.17% to arrive at the normalized human resource expenses at the 2008-09 price level respectively and then averaged to arrive at normalized average human resource expenses for the 2004-05 to 2008-09 at 2008-09 price level. The average normalized human resource expenses at 2008-09 price level shall be escalated at the rate of 5.72% to arrive at the operation and maintenance expenses for year 2009-10:

Provided that human resource expenses for the year 2009-10 shall be further rationalized considering 50% increase in employee cost on account of pay revision of the employees of the Public Sector Undertakings to arrive at the permissible operation and maintenance expenses for the year 2009-10.

(3) The human resource expenses for the year 2009-10 shall be escalated further at the rate of 5.72% per annum to arrive at permissible human resource expenses for the subsequent years of the tariff period.

17. Interest on Working Capital. - (1) The working capital shall cover :

- (i) Operation and maintenance expenses excluding human resource expenses for one month;
- (ii) Human resource expenses for one month;
- (iii) NLDC charges for one month; and
- (iv) Receivables equivalent to two months of the system operation charges and market operation charges as approved by the Commission.

(2) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be equal to the short-term Prime Lending Rate of State Bank of India as on 1.4.2009.

(3) Interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Power System Operation Company has not taken any loan for working capital from any outside agency.

18. NLDC Charges and Corporate Office Expenses. - (1) To the extent applicable, NLDC charges shall be computed by following the methodology specified for computing annual charges of Regional Load Despatch Centres except interest on working capital.

(2) The Corporate Office Expenses, computed in accordance with the actual expenses incurred, shall be allowed by the Commission, after prudence check.

(3) NLDC charges and corporate office expenses shall be apportioned to the Regional Load Despatch Centre on the basis of the demand served in the respective region.

CHAPTER -4**LEVY AND COLLECTION OF FEES AND CHARGES**

19. **Collection.** - (1) Power System Operation Company shall collect the fees and charges, as determined under these regulations.
- (2) Power System Operation Company shall be entitled to levy and collect registration fees and charges from the users and power exchanges as specified in these regulations.
- (3) Power System Operation Company shall be entitled to levy and collect fees and charges for any other services rendered to the users and power exchanges as specified in any other regulations.
20. **Allocation and apportionment of components of annual charges to system operation function and market operation function.** - (1) Annual charges towards system operation function shall comprise 80% of the annual charges.
- (2) Annual charges towards market operation function shall comprise the balance 20 % of annual charges.
- (3) The ratio of allocation of annual charges to system operation charges and market operation charges may be reviewed by the Commission from time to time.
21. **Determination of SOC and MOC.** - System operation charges and market operation charges shall be determined by adding up the allocated and/or apportioned amount of various components of the annual charges, as specified in Regulation 20 of these regulations.
22. **Collection of SOC.**- (1) The System operation charges shall be collected from the users as per the norms given below:-
- (i) Inter state transmission licensees: 10% of system operation charges;
 - (ii) Generating stations and sellers: 45% of system operation charges;
 - (iii) Distribution licensees and buyers: 45% of system operation charges.
- (2) The system operation charges shall be levied on the inter-state transmission licensees on the basis of the ckt.-km of the lines owned by them as on the last day of the month prior to billing of the month.

(3) The system operation charges from the generating companies and sellers shall be collected in proportion to their installed capacity or contracted capacity, as the case may be, as on the last day of the month prior to billing of the month.

(4) The system operation charges from distribution licensees and buyers shall be collected in proportion to the sum of their allocations and contracted capacities, as the case may be, as on the last day of the month prior to billing of the month.

Provided that the respective State Load Despatch Centre shall be the nodal agency for this purpose in the State if the concerned Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre and the distribution licensees arrives at a mutual consensus to do so. The respective State Load Despatch Centre shall collect the system operation charges from the distribution licensees within a state on behalf of the concerned Regional Load dispatch Centre and the same shall be deposited to the concerned Regional Load Despatch Centre.

23. Collection of Market Operation Charges. - The market operation charges shall be collected equally from all the users except inter state transmission licensees:

Provided that the respective State Load Despatch Centre shall be the nodal agency for this purpose in the State if the concerned Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre and the distribution licensees arrives at a mutual consensus to do so. The respective State Load Despatch Centre shall collect the market operation charges from the distribution licensees within a state on behalf of the concerned Regional Load dispatch Centre and the same shall be deposited to the concerned Regional Load Despatch Centre.

24. Registration fees. - (1) All users whose scheduling, metering and energy accounting is to be coordinated by Regional Load Despatch Centre shall register themselves with the Regional Load Despatch Centre concerned by filing application in the format prescribed as **Appendix-IV** to these regulations.

(2) The application for registration shall be accompanied by a one time fees of Rs 10 lakh.

(3) The existing users shall register themselves with the Regional Load Despatch Centre concerned by filing an application along with the fees of Rs 10 lakh within a month of coming into force of these regulations.

(4) The Regional Load Despatch Centre, after scrutinizing application and after being satisfied with correctness of the information furnished in the application shall register the applicant in its register duly intimating the applicant about its acceptance.

(5) Regional Load Despatch Centres shall maintain a list of registered users on its website.

25. National Load Despatch Centre charges and corporate office expenses. - (1) All the expenses of National Load Despatch Centre and corporate office, as approved by the Commission, shall be apportioned to the Regional Load Despatch Centres on the basis of the demand served in the respective region.

(2) National Load Despatch Centre shall collect an amount of Rs.20.0 lakh (Rupees twenty lakh only) as one time registration fees from each power exchange for the purpose of registration.

CHAPTER - 5

BILLING AND OTHER MISCELLANEOUS PROVISIONS

26. Billing and Payment of charges. - (1) Bills shall be raised for the system operation charge and market operation charge on monthly basis by the Power System Operation Company in accordance with these regulations, and payments shall be made by the users directly to the Power System Operation Company.

(2) Persistent default in payment of RLDCs/NLDC fee and charges would be brought to the notice of the Commission.

27. Late payment surcharge. - In case the payment of any bill for charges payable under these regulations is delayed by a user beyond a period of 60 days from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the system operator.

28. Rebate. - For payment of bills through letter of credit on presentation, a rebate of 2% shall be allowed. Where payments are made other than through letter of credit within a period of one month of presentation of bills, a rebate of 1% shall be allowed.

29. **Power to Relax.** - The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such relaxation.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/09-Exty.]

Appendix-I

TARIFF FILING FORMS (NLDC/RLDCs)

INDEX

Checklist of Forms and other information/ documents for tariff filing for NLDC/RLDCs

Form No.	Tariff Filing Formats (RLDCs)	Tick
FORM- 1	Summary Sheet	
FORM- 2	Normative Parameters considered for tariff calculations	
FORM- 3	Abstract of Admitted Capital Cost for the existing Projects	
FORM- 4A	Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning for the New projects	
FORM- 4B	Element wise Break-up of Capital Cost	
FORM- 4C	Break-up of Construction/Supply/Service packages	
FORM- 4D	Financial Package upto COD	
FORM- 4E	Statement of Additional Capitalisation after COD	
FORM- 4F	Statement of Capital cost	
FORM- 4G	Statement of Capital Works in Progress	
FORM- 4H	Financing of Additional Capitalisation	
FORM- 4I	Details of Foreign Equity	
FORM- 5A	Calculation of Interest on Normative Loan	
FORM- 5B	Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans ¹	
FORM- 5C	Details of Foreign loans	
FORM- 5D	Details of Project Specific Loans	
FORM- 5E	Details of Allocation of corporate loans to various RLDCs	
FORM- 6A	Statement of Depreciation	
FORM- 6B	Calculation of Depreciation Rate	
FORM- 7A	Details of Operation and Maintenance Expense excluding human resource expenses	
FORM- 7B	Details of Human Resource Expenses	
FORM- 7C	Details of Repairs and Maintenance Expenses	
FORM- 7D	Details of Administrative and General expenses	
FORM- 8	Calculation of Interest on Working Capital	
FORM- 9	Draw Down Schedule for Calculation of IDC & Financing Charges	
FORM- 10	Actual cash expenditure	

Other Information/ Documents		
Sl. No.	Information/Document	Tick
1	Certificate of incorporation, Certificate for Commencement of Business, Memorandum of Association, & Articles of Association (For New Project(s) setup by a company making tariff application for the first time to CERC)	
2	Regionwise and Corporate audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts with all the Schedules & annexures for the new Transmission System & for the relevant years.	
3	Copies of relevant loan Agreements	
4	Copies of the approval of Competent Authority for the Capital Cost and Financial package.	
5	Copies of the Equity participation agreements and necessary approval for the foreign equity.	
6	Copies of the BPTA/TSA with the beneficiaries, if any	
7	Detailed note giving reasons of time and cost over run, if applicable.	
8	Any other relevant information, (Please specify)	

Note: 1. Electronic copy of the petition (in words format) and detailed calculation as per these formats (in excell format) and any other information submitted shall also be furnished in the form of CD/Floppy disc.

FORM- 1

Summary Sheet

Name of the NLDC/NLDCs :

(Rs. in lacs)

S.No.	Particulars	Form No	Existing 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Return on Equity ¹							
2	Interest on Loan Capital							
3	Depreciation							
4	O&M Expenses excluding human resource expenses							
5	Human resource expenses							
6	NLDC Charges and Corporate office expenses							
7	Interest on Working Capital							
	Total							

¹ Details of calculations, considering equity as per regulation, to be furnished.

Petitioner

FORM-2

Normative Parameters considered for tariff calculations

Name of the NLDC/RLDCs :

Year Ending March

Particulars	Unit	As Existing					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
Base Rate of Return on Equity	%						
Tax Rate	%						
Receivables in Months for WC	months						
O&M excluding human resource expenses in Months for WC	months						
Human resource expenses in Months for WC	months						
NLDC charges in Months for WC	months						
Prime lending Rate of SBI as on	%						

1. Please mention relevant date

Petitioner

Form 3

Abstract of Admitted Capital Cost for the existing Projects

Name of the NLDC/RLDCs :

Capital cost as admitted by CERC	
Capital cost admitted as on _____	
(Give reference of the CERC relevant Order with Petition No. & Date)	
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency):	
Domestic Component (Rs. Cr.):	
Foreign Exchange rate considered for the admitted cost:	
Hedging cost, if any, considered for the admitted Capital cost	
Total Project cost admitted (Rs. Cr.):	

Petitioner

FORM-4A

Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning for the New projects

Name of the NLDC/RLDCs :

New Projects**Capital Cost Estimates**

Board of Director/ Agency approving the Capital cost estimates:			
Date of approval of the Capital cost estimates:			
	Present Day Cost	Completed Cost	
Price level of approved estimates	As of End of _____ Qtr. Of the year _____	As on Scheduled COD of the Station	
Foreign Exchange rate considered for the Capital cost estimates			
Capital Cost excluding IDC & FC			
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)			
Domestic Component (Rs. Cr.)			
Capital cost excluding IDC, FC, FERV & Hedging Cost (Rs. Cr)			
IDC, FC, FERV & Hedging Cost			
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)			
Domestic Component (Rs. Cr.)			
Total IDC, FC, FERV & Hedging Cost (Rs.Cr.)			
Rate of taxes & duties considered			

Capital cost Including IDC, FC, FERV & Hedging Cost	
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)	
Domestic Component (Rs. Cr.)	
Capital cost Including IDC & FC (Rs. Cr)	
Schedule of Commissioning	

Note:

1. Copy of approval letter should be enclosed.
2. Details of Capital cost are to be furnished as per FORM-4B or 4C as applicable.
3. Details of IDC & Financing Charges are to be furnished as per FORM-9.

PETITIONER

Form 4B

Element wise Break-up of Capital Cost

Name of the NLDC/RLDCs :

Sl.No.	Break Down	Cost in Rs. Crores			Variation	Reasons for Variation	Admitted Cost
		As per original Estimates	As on COD	Liabilities/Provision			
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)	7	8
A	Preliminary works & land						
1.1	Design & Engineering						
1.2	Land						
1.3	Site preparation						
1.0	Total Preliminary works & land						
B	Civil Works						
2.1	Control Room & Office Building including HVAC						
2.2	Township & Colony						
2.3	Roads and Drainage						
2.4	Foundation for structures						
2.5	Misc. civil works						
2.0	Total Civil Works						
C	Equipments						
3.1							
3.2							
3.3							
3.0	Total Equipments						
D	Spares						
4.1							
4.2							
4.3							
4.0	Total Spares						
E	Taxes and Duties						
5.1	Custom Duty						
5.2	Other Taxes & Duties						
5.0	Total Taxes & Duties						

F	Construction and pre-commissioning expenses						
6.1	Site supervision & site admn.etc.						
6.2	Tools and Plants						
6.3	construction Insurance						
6.0	Total Construction and pre commissioning expenses						
G	Overheads						
7.1	Establishment						
7.2	Audit & Accounts						
7.3	Contingency						
7.0	Total Overheads						
8.0	Capital cost excluding IDC, FC, FERV & Hedging Cost						
H	IDC, FC, FERV & Hedging Cost						
9.1	Interest During Construction (IDC)						
9.2	Financing Charges (FC)						
9.3	Foreign Exchange Rate Variation (FERV)						
9.4	Hedging Cost						
9.0	Total of IDC, FC, FERV & Hedging Cost						
10.0	Capital cost Including IDC, FC, FERV & Hedging Cost						

1. In case of time & Cost over run, a detailed note giving reasons of such time and cost over run should be submitted clearly bringing out the agency responsible and whether such time & cost over run was beyond the control of the generating company.

Petitioner

Form 4C

Break-up of Construction/Supply/Service packages

Name of the NLDC/RLDCs:

S.No.	Name/No. of Construction/supply/service package	Scope of works: (in line with head of cost break-ups as applicable)	Whether awarded through ICB/DCB/Departmentally/Deposit Work etc & No. of bids received	No. of bids received	Date of Award	Date of Start of work	Date of Completion of Work	Value of Award ² in (Rs. Cr.)	Firm or With Escalation in prices	Actual expenditure till the completion or up to COD whichever is earlier (Rs. Cr.)	Taxes & Duties and IEDC	IDC, FC, PFRY & Hedging cost	Sub-Total

¹ The scope of work in any package should be indicated in conformity of cost break-up in form-4B to the extent possible.

² If there is any package, which need to be shown in Indian Rupee and foreign currency(ies), the same should be shown separately alongwith the currency, the exchange rate and the date e.g. Rs.80 Cr+US\$50m=Rs.320Cr at US\$=Rs48 as on say 01.04.09.

FORM- 4D

Financial Package upto COD

Name of the NLDC/RLDCs : _____

Project Cost as on COD¹ _____

Date of Commercial Operation _____

(Amount in lacs)

1	Financial Package as Approved		Financial Package as on COD		As Admitted on COD	
	Currency and Amount ³		Currency and Amount ³		Currency and Amount ³	
	2	3	4	5	6	7
Loan-I	US \$	200m				
Loan-II						
Loan-III						
and so on						
Equity-						
Foreign						
Domestic						
Total Equity						
Debt : Equity Ratio						

¹ Say US \$ 200m + Rs.400 Cr or Rs.1360 Cr including US \$200m at an exchange rate of 1US \$=Rs.48/-² Date of Commercial Operation means Commercial Operation of the RLDC³ For example : US \$, 200M etc.etc

Petitioner

FORM- 4F**Statement of Capital cost****Name of the NLDC/RLDCs :****Statement of Capital cost**

(To be given for relevant dates and year wise)

		As on relevant date. ¹
A	a) Opening Gross Block Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in A(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in A(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in A(a) above	
B	a) Addition in Gross Block Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in B(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in B(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in B(a) above	
C	a) Closing Gross Block Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in C(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in C(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in C(a) above	

1 Relevant date/s means date of COD and financial year start date and end date

PETITIONER**FORM- 4G****Name of the NLDC/RLDCs :****Statement of Capital Woks in Progress**

(To be given for relevant dates and year wise)

		As on relevant date. ¹
A	a) Opening CWIP Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	
B	a) Addition/Adjustment in CWIP Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	
C	a) Capitalization/Transfer to Fixed asset of CWIP Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	
D	a) Closing CWIP Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	

1 Relevant date/s means date of COD and financial year start date and end date

PETITIONER

FORM - 4H

Financing of Additional Capitalisation

Name of the NLDC/RLDCs :

Financial Year (Starting from COD)	Projected/Actual					Admitted				
	Year1	Year2	Year3	Year4	Year 5 & So on	Year1	Year2	Year3	Year4	Year 5 & So on
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amount capitalised in Work/Equipment										
Financing Details										
Loan-1										
Loan-2										
Loan-3 and so on										
Total Loan ²										
Equity										
Internal Resources										
Others										
Total										

¹ Year 1 refers to Financial Year of COD and Year 2, Year 3 etc. are the subsequent financial years respectively.

² Loan details for meeting the additional capitalisation requirement should be given as per FORM-7 or 8 whichever is relevant.

Petitioner

FORM- 5A

Calculation of Interest on Normative Loan

Name of NLDC/RLDCs : _____

(Amount in lacs)

Particulars	Existing 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
Gross Normative loan - Opening						
Cumulative repayment of Normative Loan upto previous year						
Net Normative loan - Opening						
Increase/Decrease due to ACE during the Year						
Repayments of Normative Loan during the year						
Net Normative loan - Closing						
Average Normative Loan						
Weighted average Rate of Interest on actual Loans						
Interest on Normative loan						

Petitioner

FORM- 5B

Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans¹

Name of NLDC/RLDCs : _____

(Amount in lacs)

Sl. no.	Particulars	Existing 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
	Loan-1						
	Gross loan - Opening						
	Cumulative repayments of Loans upto previous year						
	Net loan - Opening						
	Add: Drawal(s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						
	Net loan - Closing						
	Average Net Loan						

	Rate of Interest on Loan on annual basis								
	Interest on loan								
	Loan repayment effective from (date to be indicated)								
	Loan-2								
	Gross loan - Opening								
	Cumulative repayments of Loans upto previous year								
	Net loan - Opening								
	Add: Drawal(s) during the Year								
	Less: Repayment (s) of Loans during the year								
	Net loan - Closing								
	Average Net Loan								
	Rate of Interest on Loan on annual basis								
	Interest on loan								
	Loan repayment effective from (date to be indicated)								
	Loan-3 and so on								
	Gross loan - Opening								
	Cumulative repayments of Loans upto previous year								
	Net loan - Opening								
	Add: Drawal(s) during the Year								
	Less: Repayment (s) of Loans during the year								
	Net loan - Closing								
	Average Net Loan								
	Rate of Interest on Loan on annual basis								
	Interest on loan								
	Loan repayment effective from (date to be indicated)								
	Total Loan								
	Gross loan - Opening								
	Cumulative repayments of Loans upto previous year								
	Net loan - Opening								
	Add: Drawal(s) during the Year								
	Less: Repayment (s) of Loans during the year								
	Net loan - Closing								
	Average Net Loan								
	Interest on loan								
	Weighted average Rate of Interest on Loans								

¹ In case of Foreign Loans, the calculations in Indian Rupees is to be furnished. However, the calculations in Original currency is also to be furnished separately in the same form.

Petitioner

FORM- 5D

Details of Project Specific Loans

Name of NLDC/RLDCs

:

(Amount in lacs)

Particulars	Package1	Package2	Package3	Package4	Package5	Package6
1	2	3	4	5	6	7
Source of Loan ¹						
Currency ²						
Amount of Loan sanctioned						
Amount of Gross Loan drawn upto 31.03.2009/COD ^{3,4,5,13,15}						
Interest Type ⁶						
Fixed Interest Rate, if applicable						
Base Rate, if Floating Interest ⁷						
Margin, if Floating Interest ⁸	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
Are there any Caps/Floor ⁹						
If above is yes, specify caps/floor						
Moratorium Period ¹⁰						
Moratorium effective from						
Repayment Period ¹¹						
Repayment effective from						
Repayment Frequency ¹²						
Repayment Instalment ^{13,14}						
Base Exchange Rate ¹⁶						
Are foreign currency loan hedged?						
If above is yes, specify details ¹⁷						

¹ Source of loan means the agency from whom the loan has been taken such as WB, ADB, WMB, PNB, SBI, ICICI, IFC, PFC etc.

- ² Currency refers to currency of loan such as US\$, DM, Yen, Indian Rupee etc.
- ³ Details are to be submitted as on 31.03.2009 for existing assets and as on COD for the remaining assets.
- ⁴ Where the loan has been refinanced, details in the Form is to be given for the loan refinanced. However, the details of the original loan is to be given separately in the same form.
- ⁵ If the Tariff in the petition is claimed separately for various transmission elements, details in the Form is to be given separately for all the elements in the same form.
- ⁶ Interest type means whether the interest is fixed or floating.
- ⁷ Base rate means the base as PLR, LIBOR etc. over which the margin is to be added. Applicable base rate on different dates from the date of drawl may also be enclosed.
- ⁸ Margin means the points over and above the floating rate.
- ⁹ At times caps/floor are put at which the floating rates are frozen. If such a condition exists, specify the limits.
- ¹⁰ Moratorium period refers to the period during which loan servicing liability is not required.
- ¹¹ Repayment period means the repayment of loan such as 7 years, 10 years, 25 years etc.
- ¹² Repayment frequency means the interval at which the debt servicing is to be done such as monthly, quarterly, half yearly, annual, etc.
- ¹³ Where there is more than one drawal/repayment for a loan, the date & amount of each drawal/repayment may also be given separately
- ¹⁴ If the repayment instalment amount and repayment date can not be worked out from the data furnished above, the repayment schedule to be furnished separately.
- ¹⁵ In case of Foreign loan, date of each drawal & repayment alongwith exchange rate at that date may be given.
- ¹⁶ Base exchange rate means the exchange rate prevailing as on 31.03.2009 for existing assets and as on COD for the remaining assets.
- ¹⁷ In case of hedging, specify details like type of hedging, period of hedging, cost of heging, etc.
- ¹⁸ At the time of truing up rate of interest with relevant reset date (if any) to be furnished separately
- ¹⁹ At the time of truing up provide details of refinancing of loans considered earlier. Details such as date on which refinancing done, amount of refinanced loan, terms and conditions of refinanced loan, financing and other charges incurred for refinancing etc.

Petitioner

FORM- 5E

Details of Allocation of corporate loans to various RLDCs

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Particulars	Package1	Package2	Package3	Package4	Package5	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Source of Loan ¹						
Currency ²						
Amount of Loan sanctioned						
Amount of Gross loan drawn upto 31.03.2009/COD ^{3,4,5,13,15}						
Interest Type ⁶						
Fixed Interest Rate, if applicable						
Base Rate, if Floating Interest ⁷						
Margin, if Floating Interest ⁸						
Are there any Caps/Floor ⁹	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
If above is yes, specify caps/floor						
Moratorium Period ¹⁰						
Moratorium effective from						
Repayment Period ¹¹						
Repayment effective from						
Repayment Frequency ¹²						
Repayment Instalment ^{13,14}						
Base Exchange Rate ¹⁶						
Are foreign currency loan hedged?						
If above is yes, specify details ¹⁷						
Distribution of loan packages to various transmission elements						
Eastern Region						
Transmission element 1						
Transmission element 2 and so on						
Total						
Western Region						
Transmission element 1						
Transmission element 2 and so on						
Total						
Northern Region						
Transmission element 1						

Transmission element 2 and so on						
Total						
Southern Region						
Transmission element 1						
Transmission element 2 and so on						
Total						
North-Eastern Region						
Transmission element 1						
Transmission element 2 and so on						
Total						
RLDC						
Total						

¹ Source of loan means the agency from whom the loan has been taken such as WB, ADB, WMB, PNB, SBI, ICICI, 1FC, PFC etc.

² Currency refers to currency of loan such as US\$, DM, Yen, Indian Rupee etc.

³ Details are to be submitted as on 31.03.2009 for existing assets and as on COD for the remaining assets.

⁴ Where the loan has been refinanced, details in the Form is to be given for the loan refinanced. However, the details of the original loan is to be given seperately in the same form.

⁵ If the Tariff in the petition is claimed seperately for various transmission elements, details in the Form is to be given seperately for all the transmission elements in the same form.

⁶ Interest type means whether the interest is fixed or floating.

⁷ Base rate means the base as PLR, LIBOR etc. over which the margin is to be added. Applicable base rate on different dates from the date of drawl may also be enclosed.

⁸ Margin means the points over and above the floating rate.

⁹ At times caps/floor are put at which the floating rates are frozen. If such a condition exists, specify the limits.

¹⁰ Moratorium period refers to the period during which loan servicing liability is not required.

¹¹ Repayment period means the repayment of loan such as 7 years, 10 years, 25 years etc.

¹² Repayment frequency means the interval at which the debt servicing is to be done such as monthly, quarterly, half yearly, annual, etc.

¹³ Where there is more than one drawal/repayment for a loan, the date & amount of each drawal/repayment and its allocation may also be given seperately

¹⁴ If the repayment instalment amount and repayment date can not be worked out from the data furnished above, the repayment schedule to be furnished seperately.

¹⁵ In case of Foreign loan, date of each drawal & repayment alongwith exchange rate at that date may be given.

¹⁶ Base exchange rate means the exchange rate prevailing as on 31.03.2009 for existing assets and as on COD for the remaining assets.

¹⁷ In case of hedging, specify details like type of hedging, period of hedging, cost of heging, etc.

¹⁸ At the time of truing up rate of interest with relevant reset date (if any) to be furnished seperately

¹⁹ At the time of truing up provide details of refinancing of loans considered earlier. Details such as date on which refinancing done, amount of refinanced loan, terms and conditions of refinanced loan, financing and other charges incurred for refinancing etc.

Petitioner

FORM - 6A

Statement of Depreciation

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Financial Year	Upto 2008-09	2009- 10	2010- 11	2011- 12	2012-13	2013-14
1	2	11	12	13	14	15
Depreciation on Capital Cost						
Depreciation recovered during the Year						
Advance Against Depreciation recovered up to 31.03.2009						
Cumulative Depreciation & Advance against Depreciation recovered upto the year						

FORM- 6B

Calculation of Depreciation Rate

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Sl. no.	Name of the Assets ¹	Gross Block as on 31.03.2009 or as on COD, whichever is later and subsequently for each year thereafter upto 31.3.13	Depreciation Rates as per CERC's Depreciation Rate Schedule	Depreciation Amount for each year up to 31.03.14
	1	2	3	4= Col.2 X Col.3
1	Land			
2	Building			
3	and so on			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
18				
19				

20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
	TOTAL			
	Weighted Average Rate of Depreciation (%)			

¹ Name of the Assets should conform to the description of the assets mentioned in Depreciation Schedule appended to the Notification.

Petitioner

Name of NLDC/RLDCs :

FORM - 7A

Details of Operation and Maintenance Expense excluding human resource expenses

(Rs. In Lacs)

	ITEMS	2009-10	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
	1	2	3	4	5	6
1	Repairs and maintenance expenses					
2	Administrative and general expenses, etc					
3	Total					

- Note:**
1. Detail of these expenditure as per formats enclosed
 2. To be furnished for all the RLDCs, NLDC and Corporate office.

PETITIONER

FORM - 7B

Name of
NLDC/RLDCs :

Details of Human Resource Expenses

PERIOD-

- ACTUALS FOR PREVIOUS FIVE
1 YEARS
ACTUALS FOR 1ST SIX MONTHS OF THE CURRENT
2 YEAR
EXPECTED FOR LAST SIX MONTHS OF THE
3 CURRENT YEAR
4 EXPECTED FOR ENSUING YEAR

Sl.No.	Account Code	Particulars	Executive		Non-Executive		Total
			Technical	Non-Tech.	Technical	Non-Tech.	
1		Salaries					
2		Over-time					
3		Dearness Allowance					
4		Other Allowance					
5		Bonus					
6		Productivity Linked Incentive					
7		Sub Total (1 to 6)					
		OTHER STAFF COST					
8		Reimbursement of Medical Expenses					
9		Leave Travel Concession					
10		Reimbursement of House Rent					
11		Interim Relief to Staff					
12		Encashment of Earned Leave					
13		Honorarium					
14		Payment under Workmen compensation Act					
15		Ex-gratia					
16		Expenditure on VRS					
17		Sub Total (8 to 16)					
18		Staff Welfare Expenses					
19		Terminal Benefits					
20		Provisions					
21		Others (Specify)					
22		Total (7+17+18+19+20+21)					
23		Revenue recovered, if any					
24		Net Total (22-23)					

	ADDITIONAL INFORMATION						
1	No. of Employees as on :						
	i) Executives						
	ii) Non-Executives						
	iii) Skilled						
	iv) Non-Skilled						
	Total						
2	No. of Employees per						
	i) MW handled						
	ii) MKwh handled						

- I) An annual increase in O&M expenses under a given head in excess of 20 percent should be explained with proper justification.
- II) The data should be based on audited balance sheets.
- III) Details of arrears, if any pertaining to period prior to the year 2004-05 should be mentioned separately.
- IV) No. of employees opting for VRS during each year should be indicated.
- V) Details of abnormal expenses, if any shall be furnished separately.
- VI) The monthwise provisions made in the employee cost during 2006-07, 2007-08 and 2008-09 towards wage revision/arrears shall be provided separately.

PETITIONER

FORM - 7C

Name of NLDC/RLDCs :

Details of Repairs and Maintenance Expenses

A. REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENSES (Actuals)

Sl.No.	Description	Actuals for previous Financial Year	Current Financial Year			Estimates for ensuing year
			Actual For First Six Months	Projection For Balance Six Months	Total	
1	Consumption of stores and spares					
2	Loss of stores and spares					
3	Plant & Machinery repairs and maintenance					
4	Civil works repairs and maintenance					
5	Annual Maintenance Contract (4a+4b+4c)					
5a	- Plant & machineries					
5b	- Civil repairs and maintenance					
5c	- Others					
6	Others (Specify)					
7	Total (1+2+3+4+5+6)					
8	Revenue recoveries, if any					
9	Net Total (7-8)					

B. REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENSES (As per Regulation)

Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Admitted Capital cost as on 1st April of the year					
Repairs and Maintenance expenses					
Repairs and Maintenance expenses as a percentage of Capital cost					

PETITIONER

FORM - 7D

Name of NLDC/RLDCs :

Details of Administrative and General expenses:

Sl.No.	Description	Actuals for previous five Financial Year	Current Financial Year			Estimates for ensuing year
			Actual For First Six Months (Rs. in Crs.)	Projection For Balance Six Months	Total	
	PROPERTY RELATED EXPENSES					
1	Licence Fees					
2	Rent					
3	Rates & Taxes					
4	Insurance					
5	Contribution to accident reserve fund					
6	Sub total :					
	COMMUNICATION					
7	Telephone & Trunk Call					
8	Postage & Telegram					
9	Telex, Teleprinter Charges, Telefax					
10	Courier Charges					
11	Other					
12	Sub total :					
	PROFESSIONAL CHARGES					
13	Legal expenses					
14	Consultancy charges					
15	Technical fees					
16	Audit fees					
17	Other charges					
18	Sub total :					
	CONVEYANCE & TRAVELLING					
19	Conveyance expenses					
20	Travelling expenses					
21	Hire charges of vehicle					
22	Others					
23	Sub total :					
	OTHER EXPENSES					
24	Electricity charges					
25	Fees & Subscription					
26	Books & Periodicals					
27	Printing & Stationery					
28	Advertisement					
29	Entertainment					
30	Watch & Ward					
31	Miscellaneous					
32	Organisational Development Expenses					

33	Donation						
34	Training						
35	Sub total :						
	MATERIAL RELATED EXPENSES						
36	Demurrage and Wharfage on materials						
37	Clearing & forwarding charges						
38	Transit insurance						
39	Sub total :						
40	Others (Specify)						
41	Total (6+12+18+23+36+39+40)						
42	Revenue recoveries, if any						
43	Net Total (41-42)						

PETITIONER

FORM- 8

Calculation of Interest on Working Capital

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Sl. No.	Particulars	Existing 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O & M expenses excluding human resource expenses						
2	Human resource expenses						
3	NLDC charges						
4	Receivables						
5	Total Working Capital						
6	Rate of Interest						
7	Interest on Working Capital						

Petitioner

FORM- 9

Draw Down Schedule for Calculation of IDC & Financing Charges

Name of NLDC/RLDCs :

Draw Down Schedule for Calculation of IDC & Financing Charges

(Amount in Lacs)

Sl. No.	Draw Down Particulars	Quarter 1			Quarter 2			Quarter n (COD)		
		Quantum in Foreign currency	Exchange Rate on draw down date	Amount in Indian Rupee	Quantum in Foreign currency	Exchange Rate on draw down date	Amount in Indian Rupee	Quantum in Foreign currency	Exchange Rate on draw down date	Amount in Indian Rupee
1	Loans									
1.1	Foreign Loans									
1.1.1	Foreign Loan 1									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									
1.1.2	Foreign Loan 2									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									
1.1.3	Foreign Loan 3									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									
1.1.4	--									
	--									
	--									
1.1	Total Foreign Loans									
	Draw down Amount									
	IDC									
	Financing charges									
	Foreign Exchange Rate Variation									
	Hedging Cost									
1.2	Indian Loans									

FORM- 10**Name of NLDC/RLDCs :****Actual cash expenditure**

	Quarter-I	Quarter-II	Quarter-III	Quarter-n (COD)
Payment to contractors/suppliers				
% of fund deployment				

Note: If there is variation between payment and fund deployment justification need to be furnished

Petitioner**Appendix-II**

[To be published in pursuance of Clause (7) of Regulation 7]

Name of the Applicant } (in Bold Letters)
 (Registered Office Address) }

1. The applicant above-named has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for determination of fees and charges for [Give name of the applicant].
2. The users of the NLDC/RLDC are:
 - a.
 - b.
 - c.

.....

3. Approved capital cost of the project (Rs. in lakh):
 - a. Original:
 - b. Final (Revised):
4. Authority which has approved the Capital Cost:
5. Scheduled date of commercial operation:
 - a. Original:
 - b. Final (Revised):
6. Actual date of commercial operation:

7. Capital cost on the date of commercial operation (Rs. in lakh):

8. Details of tariff (Publish only applicable portion):

(Rs. in lakh)

	Tariff for the previous year	Year-wise tariff sought to be determined				
		Previous year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. RLDC						
2. NLDC						

9. A copy of the application made for determination of tariff is posted on the website (indicate here the address of the website).

10. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the application be filed by any person, including the beneficiary before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd Floor, Chandralok Building, 36, Janpath, New Delhi - 110 001, with a copy to the applicant within 30 days of publication of this notice.

Place _____
Date _____

Name and Designation of the Authorised Signatory

Depreciation Schedule

Appendix-III

Sr. No.	Asset Particulars	Depreciation Rate
		SLM
A	Land under full ownership	
B	Land under lease	0.00%
(a)	for investment in the land	
(b)	For cost of clearing the site	3.34%
		3.34%
C	Other Assets	
a	Buildings & Civil Engineering works	
(i)	Classified residential	
(ii)	Containing plant and equipments	1.63%
(iii)	Temporary erections such as wooden structures	3.34%
(iv)	Roads other than Kutchera roads	3.34%
(v)	Others	100.00%
		1.63%

b	Transformers, Kiosk, sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundation)	
(i)	Transformers including foundations having rating of 100 KVA and over	5.28%
(ii)	Others	5.28%
c	Switchgear including cable connections	5.28%
d	Lightning arrester	
(i)	Station type	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%
(iii)	Synchronous condenser	5.28%
e	Batteries	5.28%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	6.28%
(ii)	Cable duct system	3.34%
f	Overhead lines including cable support systems	
(i)	Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 KV	3.34%
(ii)	Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 KV but not exceeding 66 KV	5.28%
(iii)	Lines on steel on reinforced concrete support	5.28%
(iv)	Lines on treated wood support	5.28%
g	Meters	5.28%
h	Self propelled vehicles	9.50%
i	Air Conditioning Plants	
(i)	Static	5.28%
(ii)	Portable	9.50%
j(i)	Office furniture and furnishing	6.33%
(ii)	Office equipment	6.33%
(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
(iv)	Street Light fittings	5.28%
k	Apparatus let on hire	
(i)	Other than motors	9.50%
(ii)	Motors	6.33%
l	Communication equipment	
(i)	Radio and high frequency carrier system	6.33%
(ii)	Telephone lines and telephones	6.33%
m	I. T equipments	15.00%
n	Softwares	30.00%
o	Any other assets not covered above	5.28%

Appendix-IV

(in Compliance of Clause-1 of Regulation-24)

1. **Name of the entity (in bold letters):**
2. **Registered office address:**
3. **Region in which registration is sought:**
 - i. North-eastern
 - ii. North
 - iii. East
 - iv. West
 - v. South
4. **User category:**
 - i. Generating Station
 - ii. Seller
 - iii. Buyer
 - iv. Transmission Licensee
 - v. Distribution Licensee
5. **User details (as on 31st March of last financial year):**
 - i. **Category – Generating Station**
 - i. Total Installed Capacity
 - ii. Maximum Contracted Capacity (MW) using ISTS
 - iii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

- ii. **Category – Seller/Buyer/Distribution Licensee**
 - i. Maximum Contracted Capacity (MW) using ISTS
 - ii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

- iii. **Category – Transmission Licensee (inter-State)**
 - i. Sub-stations:

Sl. No.	Sub-station Name	Number of transformer	Total Transformation Capacity or Design MVA handling capacity if switching station

ii. Transmission lines:

Sl. No.	Voltage level (kV)	Number of transmission lines	Total Circuit-Kilometers

6. Contact person(s) details for meters related to RLDC/NLDC:

- i. Name:
- ii. Designation:
- iii. Landline Telephone No.:
- iv. Mobile No.:
- v. E-mail address:
- vi. Postal address:

The above information is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Authorised Representative

Place:

Date:

Name:

Designation:

Contact number: